न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

VOLUME-X **JULY-2020 TO DECEMBER-2020** **ISSUE-II**

NEWSLETTER

Half Yearly Newsletter of Uttarakhand SLSA
Compiled by
Mr. R. K. Khulbey, Member Secretary, UKSLSA

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,
e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com
website : www.slsa.uk.gov.in
Portal For Free Legal Aid: https://uklegalaidservices.uk.gov.in
Facebook Link: https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa
Facebook Page Link: https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873
Youtube Link: https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ
TOLL FREE NO. 18001804000, 15100

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, NAINITAL

Hon’ble Mr. Justice Ravi Malimath,
Hon’ble Executive Chairman,
UKSLSA, Nainital

Mr. R.K. Khulbey,
Member Secretary, UKSLSA, Nainital

Mr. Mohd. Yusuf,
Officer on Special Duty,
UKSLSA, Nainital

E-NEWS LETTER FOR JULY-2020 TO DECEMBER-2020

FAREWELL OF HON'BLE THE PATRON-IN-CHIEF, UKSLSA-NAINITAL:

On 24.07.2020, Uttarakhand SLSA, Nainital organized a farewell programme on the superannuation of Hon'ble Mr. Justice Ramesh Rangnathan, Hon'ble the Patron-in-Chief, Uttarakhand SLSA, Nainital.

APPRECIATION CERTIFICATES TO PLVs FOR THEIR REMARKABLE WORK DURING COVID-19 PANDEMIC:

During the COVID-19 pandemic, the Para-Legal Volunteers have done remarkable and tremendous work regarding social and community services, even at the risk of their health and life. Their work and services were discussed and appreciated in the 17th Board Meeting of Uttarakhand SLSA, Nainital held online on 26.06.2020.

An online certificate distribution programme was organized by Uttarakhand SLSA on 13.10.2020 Total 146 PLVs were felicitated in the online programme by giving them certificates of appreciation. The programme was graced by Hon'ble Mr. Justice Ravi Malimath, Executive Chairman, Uttarakhand SLSA and Hon'ble Mr. Justice Sudhanshu Dhulia, Judge, High Court of Uttarakhand.

बुधवार 14.10.2020

146 पैरा लीगल वालंटियर्स को दिए प्रमाणपत्र

बरेली, 14 अक्टूबर 2020

उत्कृष्ट कार्य करने वाले ऑनलाईन सम्मानित

07

नैनीताल में 146 पैरा लीगल वालंटियर्स सम्मानित किए गए

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

ONLINE DRAWING /ESSAY/ POEM COMPETITION:

A. In order to celebrate the 70th Anniversary of Adoption of the Constitution of India, the Government of India had decided to launch a year long campaign focusing on creating awareness on Citizen's Duties including Fundamental Duties that are enshrined in Chapter IV-A (Article 51-A) of the Constitution of India in a most befitting manner throughout the country commenced from 26th November, 2019.Such **"Online Drawing /Essay/ Poem Competition"** was organized for the students and children to make aware the students and adolescence regarding the Fundamental Duties as envisaged in the Constitution of India and Citizen's Duties. For this purpose, the following categories have been made:-

i. **Category-I for Class: 6th to 8th or Age Group: 10-14 years.**

ii. **Category-II for Class: 9th to 12th orAge Group: 15-18 years.**

THE ENTRIES HAVE BEEN INVITED ON THE FOLLOWING TOPICS:-

i. **TO RESPECT THE NATIONAL FLAG AND NATIONAL EMBLEMS.**

ii. **NOBLE IDEALS FOR INSPIRING NATIONAL FREEDOM MOVEMENT.**

iii. **NATIONAL UNITY, INTEGRITY, HARMONY AND BROTHERHOOD.**

iv. **WOMEN DIGNITY AND EMPOWERMENT.**

v. **PROTECTION OF NATURAL ENVIRONMENT.**

vi. **OPPORTUNITIES AND IMPORTANCE OF CHILD EDUCATION.**

WEEK LONG CAMPAIGN, UNDER "CONSTITUTION DAY" CELEBRATION:

In order to celebrate the 70th Anniversary of adoption of the Constitution of India all the DLSAs in the State of Uttarakhand have carried out One Week Long Campaign regarding awareness of Fundamental & Citizen Duties in the third week of November, 2020.

DIGITAL PAMPHLET

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

अपने मौलिक कर्तव्य निभाएँ देश को महान बनाएँ

मूल कर्तव्य

[अनुच्छेद 51–क भारत का संविधान]

- प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
- स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
- भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखे।
- देश की रक्षा करे और आवाहन किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
- भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हों।
- हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें
- प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंर्तगत वन, झील, नदी, और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें।
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें।
- व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरन्तर बढते हुए प्रयत्न से उपलब्धि की नई ऊचाइयों को छू लें।
- जो माता–पिता या संरक्षक हैं, वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य हेतु शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें–
टेलीफैक्स:– 05942–236552, ई0मेल0:– slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com टॉल फ्री:– 15100 एवं 1800 180 4000
वेबसाईट:– www.slsa.uk.gov.in

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

FUNDAMENTAL DUTIES

THE CONSTITUTION OF INDIA ARTICLE 51 (A)

It shall be the duties of every citizen of the India -:

- To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
- To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
- To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
- To defend the country and render national service when called upon to do so;
- To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
- To value and preserve the rich heritage of our composite culture;
- To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
- To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
- To safeguard public property and to abjure violence;
- To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
- Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

For more information contact:-
Visit the website: www.slsa.uk.gov.in
Tele fax – 05942-236552, E-mail – slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com, Toll Free – 15100 & 1800 180 4000

RESULT

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

RESULT

FOR

"ONLINE DRAWING/POEM/ESSAY COMPETITION"

ON

"CONSTITUTION DAY" (FUNDAMENTAL DUTIES & CITIZEN DUTIES)

Category-I Class: 6th to 8th (Age Group: 10-14 Years)

POETRY

Sl. No.	STUDENTS NAME	SCHOOL NAME	POSITION
1.	MISBAH NAZ	GIC KASAMPUR, HARIDWAR	FIRST
2.	RIA JOSHI	BEERSHEBA SR. SECONDARY SCHOOL, HALDWANI	SECOND
3.	KOMAL BISHT	MLS BVM NAINITAL	THIRD

DRAWING

Sl. No.	STUDENTS NAME	SCHOOL NAME	POSITION
1.	HIMANSHU JOSHI	GUPS DINA HALDUCHAUR HALDWANI	FIRST
2.	HIMANI BISHT	JNV RAMNAGAR	SECOND
3.	BHUMIKA JOSHI	CHILDRENS' ACADEMY HALDWANI	THIRD

ESSAY

Sl. No.	STUDENTS NAME	SCHOOL NAME	POSITION
1.	RADHIKA NAUTIYAL	GOSWAMI GANESH DUTT SVMIC UTTARKASHI	FIRST
2.	RESHMA GARIYA	GIC TALWARI CHAMOLI	SECOND
3.	MANVI NAGARKOTI	HIMALAYAN CENTRAL SCHOOL BAGESHWAR	THIRD

RESULT

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

RESULT

FOR

"ONLINE DRAWING/POEM/ESSAY COMPETITION"

ON

"CONSTITUTION DAY" (FUNDAMENTAL DUTIES & CITIZEN DUTIES)

Category-II Class: 9th to 12th (Age Group: 15-18 Years)

POETRY

Sl. No.	STUDENTS NAME	SCHOOL NAME	POSITION
1.	SEEMA PANWAR	MIC PAURI GARHWAL	FIRST
2.	SUMAN	PPT GIC DHANACHULI	SECOND
3.	GORIKA ARORA	JAYCES PUBLIC SCHOOL RUDRAPUR	THIRD

DRAWING

Sl. No.	STUDENTS NAME	SCHOOL NAME	POSITION
1.	KRISHNA PRASAD TAMTA	GIC GAUCHAR	FIRST
2.	MUSKAN MEHRA	GIC PHOOLCHAUR	SECOND
3.	VARSHA	MESMOR INTER COLLAGE PAURI GARHWAL	THIRD

ESSAY

Sl. No.	STUDENTS NAME	SCHOOL NAME	POSITION
1.	KAMINI PANT	GGIC KANDA	FIRST
2.	SHIVANI KUMARI	SATYANARAYAN MANDIR INT COLLEGE MAKHDUMPUR HARIDWAR	SECOND
3.	SHIVLI NANDI	JAEYCES PUB SCHOOL RUDRAPUR	THIRD

BEST 03 ENTRIES EACH OF ONLINE DRAWING/POEM/ESSAY COMPETITION FROM ALL CATEGORIES ARE AS UNDER:

CATEGORY-I/CLASS-06th to 08th

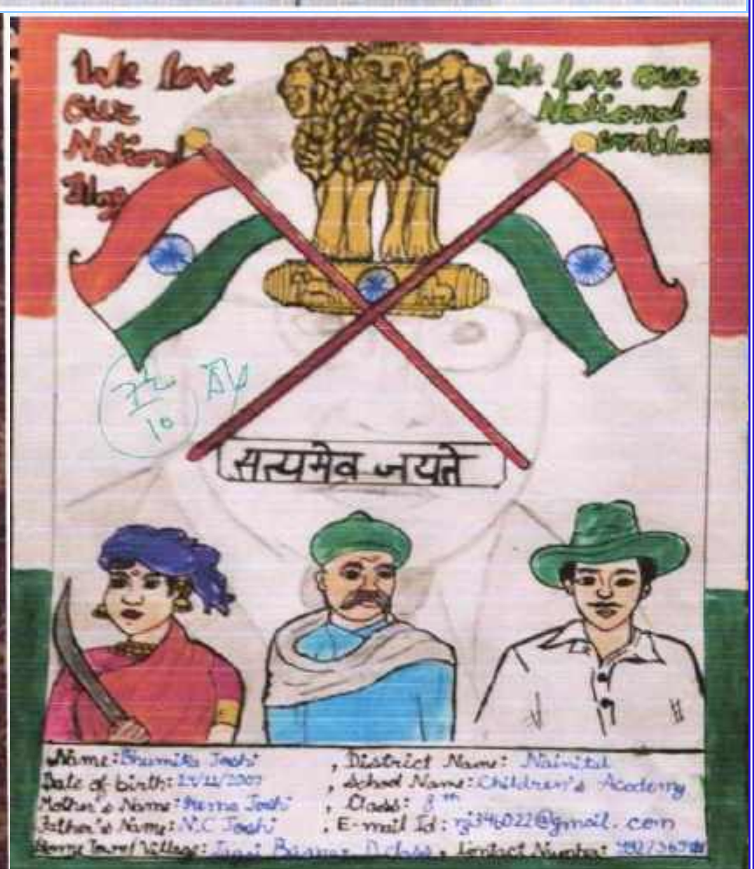

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

"संविधान दिवस" (26 नवम्बर, 2020) के उपलक्ष्य पर मौलिक कर्तव्य और नागरिकों के कर्तव्य पर online कविता प्रतियोगिता में

कविता का विषय - स्त्री सम्मान एवं सशक्तीकरण ।।

सशक्त हुई है नारियाँ

भ्रूण हत्या, बाल विवाह की, शिकार हुई है नारियाँ,
घरेलू हिंसा, ताना-बाना, सब सही है नारियाँ। *

बहुत सहे है अपमान और बहुत सही है गालियाँ *
वैश्यावृत्ति दास प्रथा की शिकार हुई है नारियाँ। *

मदर टेरेसा, गौरा देवी, इन्दिरा गाँधी, लक्ष्मीबाई *
रजिया सुल्ताना दुर्गा बाई बन रही है नारियाँ। *

ऐसा कोई क्षेत्र नहीं, जहाँ न पहुँची नारियाँ, *
सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ रही है नारियाँ। *

अपने हक की सब लड़ाई लड़ने लगी है नारियाँ, *
जहाँ चाहा तो हर मंजिल को पाने लगी है नारियाँ। *

नारी सशक्तीकरण के दौर में बढ़ रही है नारियाँ, *
देश की सीमा या अन्तरिक्ष हो, सब जगह है नारियाँ। *

निर्णय लेने में सक्षम आज हो रही है नारियाँ, *
शिक्षा पाकर देश को आगे बढ़ा रही है नारियाँ। *

गलत फहमी को दूर हटा के सशक्त हुई है नारियाँ *
पहले जैसी अबला नहीं रही है अब नारियाँ। *

सशक्त है, साकार है, कमज़ोर नहीं है नारियाँ, *
अब वह वक्त नहीं रहा, जो टूट के बिखरे नारियाँ। *

दरपण है, अक्स है, झुका सके न कोई *
स्वाभिमानी है व आत्मनिर्भर भी है नारियाँ ।। *

जननी है, जीवन भी है, अब बातों पे उसका जोर नहीं। *
साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना मंजूर नहीं। *
कुछ माँगा नहीं, कुछ चाहा नहीं,
बदला बस खुद को, कि रिश्ता टूट न जाये कहीं। *

हाँ मैं स्त्री हूँ

मैं स्त्री हूँ, मैं स्वतन्त्र हूँ, मैं सार्थक हूँ।
मैं ही जीवन की धारक हूँ, मैं सम्मान हूँ।

हर पल जलती एक अग्नि में..
हर पल तपती एक ज्वाला में
मैं अथाह अनादि व्यापक हूँ, मैं सशक्त हूँ।

ना चाह है तेरे भावों की,
ना आस है तेरी राहों की...
मैं चल सकती हूँ हर पथ पे
मैं जीवन पथ की धावक हूँ...
मैं बेटी हूँ, पत्नी हूँ, माँ भी हूँ,
मैं हर रिश्ते को परखूँ
तू मान भले ये कोई भी मैं तो नारी हूँ।
हर भाव में मेरी गहराई...

आँखों में चाहे आँसू हो
पर टूट नहीं सकी हूँ मैं तभी नारी हूँ।
मेरा मन लोहे की प्रतिमा है
बाहर से केवल भावुक है
मैं स्त्री हूँ, मैं सम्मान हूँ, मैं सशक्त हूँ।

भगवान को भी अपने गर्भ में रखने की
ताकत रखती हूँ,
कितना ही मुझे कुचलो मैं गर्व से
अपने सर को उठाकर चलती हूँ।

अपने बच्चों के लिए सारे 'जहर'
आसानी से पी लेती हूँ।

इसलिए ही तो मैं स्त्री, सम्मान और
सशक्तीकरण कहलाती हूँ।।

* * *

नाम ⇒ मिस्बाह नाज़
जन्म तिथि - 15-12-2006)
मो० नं० (8475808510) (9756527252)
माता का नाम = सालिहा
जनपद - हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
पिता का नाम = मो० फरमान
कक्षा - 8th. विद्यालय - राजकीय इण्टर कॉलिज कासमपुर बहादराबाद हरिद्वार (UK)
गाँव का नाम - मुस्तफाआबाद
Email: UmmeRoman 9557 @ gmail.com

9/10

Junior - Poem

TOPIC OF POEM: 'She should be respected' (WOMEN DIGNITY AND EMPOWERMENT)

1. NAME → RIA JOSHI
2. DATE OF BIRTH → 04 APRIL 2007
3. MOTHER'S NAME → LEELA JOSHI
4. FATHER'S NAME → NARENDRA KR. JOSHI
5. HOME TOWN/VILLAGE → RANIKHET
6. DISTRICT NAME → NAINITAL
7. SCHOOL'S NAME → BEERSHEBA SENIOR SECONDARY SCHOOL HLD. NAINITAL
8. CLASS → VIII th
9. CONTACT NUMBER → 9457267992
10. E-mail ID → riajoshi351@gmail.com

'She' who cares for you,
'She' who sacrifices for you,
'She' who understand yourself better than you.
'She' who gifted this comfortable and delightful life to you.
'She' is a caring mother.

'She' who plays with you,
'She' who fights with you,
'She' who fearlessly supports you in mischiefs.
'She' who accompanies you in all sorrows and griefs
'She' is a helping sister.

8/10

'She' who's a lifelong comrade of yours,
'She' who is a magnificent spouse to you,
'She' who knows every aspect of yours.
'She' who loves you more than anyone else do.
'She' is a loving wife.

'She', who is small but still worries the most for you,
'She' whose superhero is only you,
'She' whose life feels incomplete without you.
'She' is your cute little doll with big dreams to acquire.
'She' is a perfect daughter.

'She' plays a crucial role in the world,
'She' is the one without whom your life is incomplete.
'She' loves you selflessly and asks for nothing in return
'She' is the beginning of life and 'She' is the end,
This is something that all men need to understand.

'She' is the symbol of love and care,
Also 'she' gracefully manages the problems of life.
'She' represents prosperity and delight.
'She' is powerful, 'She's strong, 'She's bold enough
'She' is the creator of life on Earth.
'She' should be respected.
'She' deserves......

— RIA JOSHI

कविता

प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण

प्रकृतिक पर्यावरण का संरक्षण हैं जरूरी
हर नागरिक को यह कर्तव्य निभाना है जरूरी,
पर्यावरण है हम सबकी जान,
इसलिए करो इसका सम्मान,
प्रकृति का मत करो शोषण
सब मिलकर बचाओ पर्यावरण,

प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण हैं,
हमारी जिम्मेदारी,
प्रत्येक नागरिक को निभानी है अपनी,
हिस्सेदारी,
पेड़-पौधों को लगाना है,
पर्यावरण को बचाना है।

प्रकृति का रखो ख्याल,
सब मिलकर बचाओ पर्यावरण,
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण है समझदारी,
हर नागरिक को दिखानी है ईमानदारी
गन्दगी को हटाना है,
पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है,
प्रकृति को बनाओ सुन्दर
सब मिलकर बचाओ पर्यावरण,

प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण है सबकी
सुरक्षा
प्रत्येक नागरिक को बनाए रखनी है शालीनता
जिन्दगी को बचाना है,
पर्यावरण को सुरक्षित रखना है,
प्रकृति को बनाओ दोस्त,

नाम - कोमल बिष्ट
कक्षा - 5 अ
स्कूल - मोहन लाल साह बाल विद्या मंदिर नैनीताल
जन्म तिथि - 05/12/2009
मोबाइल नं० - 9410598242

CATEGORY-II/CLASS- 09th to 12th

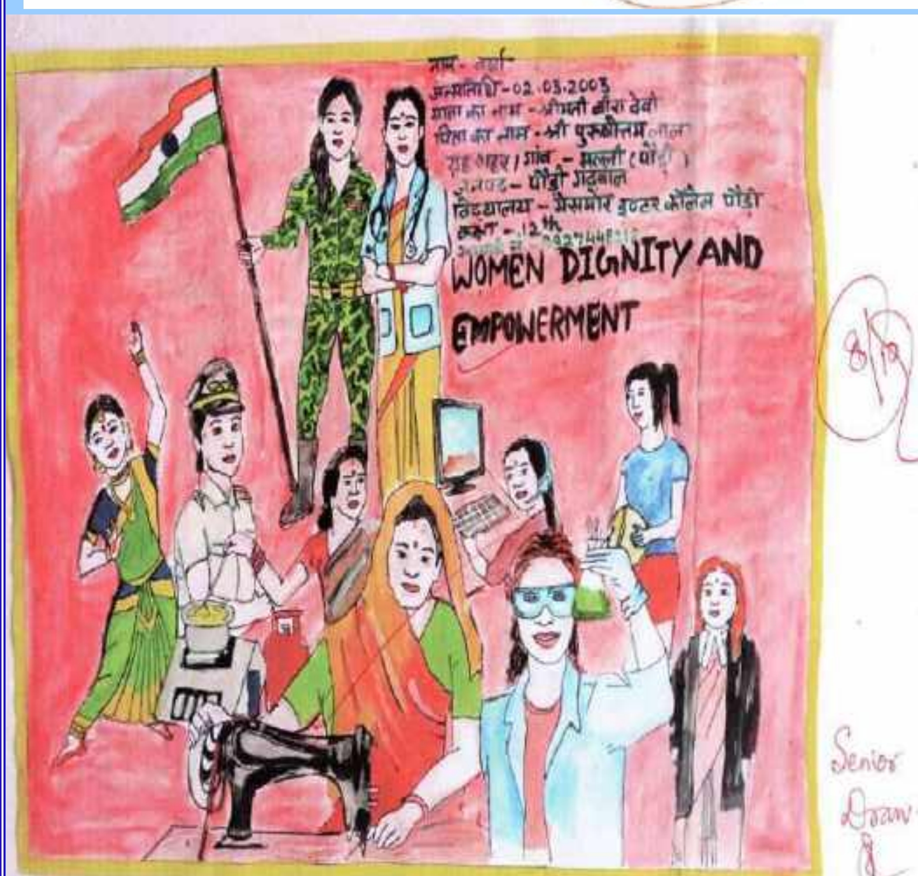

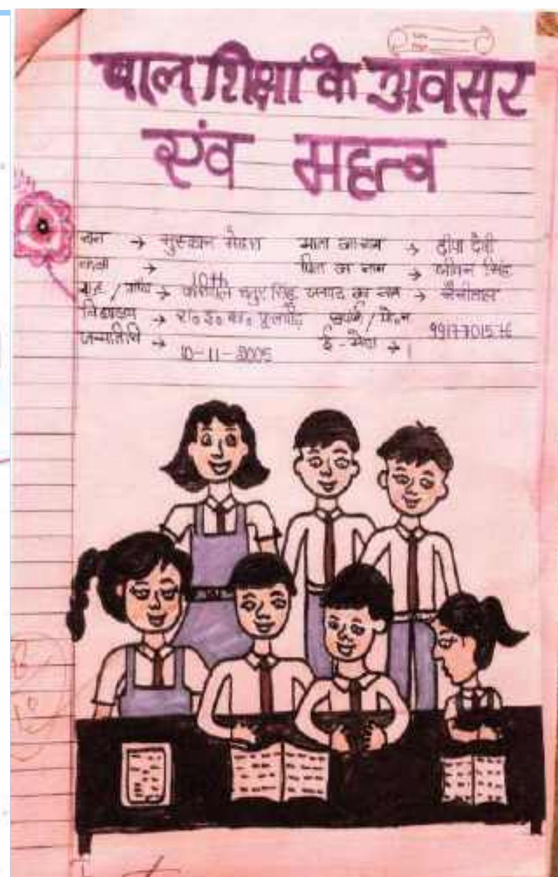

स्त्री सम्मान एवं सशक्तिकरण

नाम – कामिनी पन्त
DOB – 12/07/2004
माता का नाम – श्रीमती हेमा पन्त
पिता का नाम – श्री हेम पन्त
गाँव का नाम – खन्तोली
जनपद का नाम – बागेश्वर
विद्यालय का नाम – G.G.I.C Kanda – Bageshwar
कक्षा – 12th
संपर्क नं० – 9057968630

8.5/10

संकेत बिन्दु –

1). प्रस्तावना
2). महिला सशक्तिकरण का अर्थ
3). भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता
4). महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका
5). महिला सशक्तिकरण के लाभ
6). उपसंहार

1· प्रस्तावना –

आज के आधुनिक समय में महिला सशक्तिकरण एक विशेष चर्चा का विषय है। हमारे आदि-ग्रंथों में नारी के महत्व को मानते हुए यहाँ तक बताया गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:" अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, वहीं देवता निवास करते हैं।

लेकिन विडम्बना तो देखिए नारी में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी उसके सशक्तिकरण की अत्यंत आवश्यकता महसूस हो रही है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ उनके आर्थिक फैसलों, आय, संपत्ति और दूसरे वस्तुओं की उपलब्धता से है, इन सुविधाओं को पाकर ही वह अपने सामाजिक स्तर को ऊँचा कर सकती है।

अपने देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है। नारी सशक्तिकरण का असली अर्थ तब समझ में आयेगा जब भारत में उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें इस काबिल बनाया जाएगा कि वो हर क्षेत्र में स्वतंत्र होकर फैसले कर सकें।

2· महिला सशक्तिकरण का अर्थ –

स्त्री को सृजन की शक्ति माना जाता है अर्थात स्त्री से ही मानव जाति का अस्तित्व माना गया है, इस सृजन की शक्ति को विकसित कर उसे सामाजिक, आर्थिक, विचार, विश्वास, धर्म और अवसर की समानता का सु-अवसर प्रदान करना ही नारी सशक्तिकरण का आशय है।

दूसरे शब्दों में – "महिलाओं के सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

3· भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता

भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्य काल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी, जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्य काल में वह सम्मान घटने लगा था।

(1) आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएँ कई सारे महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएँ आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं।

(2) भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन में सामने आया है कि समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भी भारत में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 20% कम भुगतान दिया जाता है।

4· महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका –

बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़-लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय लेती है। अब वह चारदीवारी से बाहर निकलकर देश के लिए विशेष महत्वपूर्ण कार्य करती है, महिलाएँ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महान काम में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कन्धा मिला कर बड़े से बड़े कार्यक्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, फिर चाहे वह मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का। महिलाएँ अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही हैं।

5· महिला सशक्तिकरण के लाभ –

महिला सशक्तिकरण के बिना व समाज में नारी को वह स्थान नहीं मिल सकता जिसकी वह हमेशा से हकदार रही है, बन्धनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती है, स्त्री सशक्तिकरण के अभाव में वह इस योग्य नहीं बन सकती कि स्वयं अपनी निजी स्वतंत्रता और अपने फैसलों पर अधिकार पा सके।

महिलाओं सशक्तिकरण के कारण महिलाओं की जिन्दगी में बहुत से बदलाव हुए,

1) महिलाओं ने हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया है।
2) महिलाएँ अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही हैं।
3) पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं;

6- उपसंहार –

जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, इक्कीसवीं सदी नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है, की सदी है, महिलाएँ अब हर क्षेत्र में आने लगी हैं, आज की नारी अब जागृत और सक्रिय हो चुकी है, किसी ने बहुत अच्छी बात कही है "नारी जब अपने ऊपर थोपी हुई बेड़ियों एवं कड़ियों को तोड़ने लगेगी, तो विश्व की कोई शक्ति उसे नहीं रोक पाएगी।" यह एक सुखद संकेत है, लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

धन्यवाद

नाम - शिवानी कुमारी
पिता जी - श्री [illegible] कुमार
माता जी - श्रीमती [illegible] देवी
जनपद - हरिद्वार
ग्राम - [illegible]
रोल नं. - 91134012333
विद्यालय - श्री [illegible] इण्टर कॉलेज [illegible]
जन्म तिथि - 08/04/2004
कक्षा - 12th

8.5/10

स्त्री सम्मान एवं सशक्तिकरण

नारी का सदा सम्मान होना चाहिए जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते है।

हम सबकी यही
पुकार नारी को
दो शिक्षा का
अधिकार

तथा और भी अन्य तथा सभी कार्यों को करने मे सक्षम है। महिलाए विभिन्न परीक्षाओं मे भी ज्यादातर लड़कियाँ ही बाजी मार रही है।

माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती की
चाहे कितनी भी पूजा कर
ले या फिर, दिन का अखंड
उपवास रख ले, लेकिन अगर
नारी की इज्जत करना ही
नही सिखोगे तो सब
बेकार है।

किसी समय इन्हें कमजोर समझा जाता था। किन्तु इन्होंने अपनी मेहनत और शक्ति के बल पर हर क्षेत्र मे विजय प्राप्त की। हमें इस प्रतिभा का सदैव सम्मान करना चाहिए नारी का सम्मान ही जग मे ईश्वर की भक्ति माना है। आज के आधुनिक युग मे स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा काबिल होती जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में भी ज्यादातर स्त्री ही बुद्धिमान होती है। स्त्री का सम्मान ही स्त्री को सबसे बड़ी खुशी [illegible] लगती है। पहले तो स्त्रीयों को बोझ माना जाता था। फिर समाज के इस बदलते दौर मे स्त्री ही सब कुछ करने का [illegible] बना रही है। खेलो मे भी आगे बढ़ रही है चाहे वो खेल क्रिकेट हो या अन्य बहुत से खेलों मे भी बाजी मार रही

आज हम देखते है कि नारी का हर जगह अपमान होता चला जा रहा है। इसे भोग की वस्तु समझकर आदमी अपने तरीको से इस्तेमाल कर रहा है, जो बेहद चिंताजनक बात है। नारी का सम्मान ही सब जग का सम्मान होता है। नारी का अपमान इस प्रकार भी कर सकते है नहीं [illegible] पवित्र रूप [illegible] की आता है।

कोई भी देश तरक्की के
शिखर पर तब तक
नही पहुँच सकता
जब तक उसकी
महिलाए कंधे से
कंधा मिलाकर
ना चले।

नारी यानी जननी माँ को ईश्वर से भी बढ़कर माना जाता है। किन्तु बदलते समय के हिसाब से लोगों ने अपनी माँ को महत्व देना कम कर दिया है यह बहुत ही चिंताजनक पहलू है। [illegible] अगर आजकल की लड़कियों पर नजर डाले तो वह बहुत ही बाजी मार रही है। किसी भी कार्य को करने मे अपने को सक्षम बना रही लड़कियाँ, कोई भी कार्य कर सकती है चाहे बैंको के कार्य और डॉक्टर, पुलिस, टीचर सब कार्यों को करने मे सक्षम है। महिलाएँ

स्त्रीयों का सम्मान हर व्यक्ति को करना चाहिए जो ही व्यक्ति अच्छा होगा वो स्त्रीयों का सम्मान करेगा। महिलाओं को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त है। चाहे वो अधिकार शिक्षा के क्षेत्र के हो या फिर बाल विवाह दहेज प्रथा हो। इन सभी को रोकने का अधिकार भी है सभी को समान अधिकार प्राप्त होने से ही स्त्रियाँ आज सशक्त बनी है।

हजारो फूल चाहिए एक माला
बनाने के लिए हजारो
दीपक चाहिए एक आरती
सजाने के लिए हजारो
बून्द चाहिए समुद्र बनाने
के लिए पर एक स्त्री
ही काफी है घर
को स्वर्ग बनाने के
लिए।

महिलाओ का सदा सम्मान करना चाहिए महिलाएँ ही ईश्वर का रूप होती है। महिलाओं को सम्मान से बढ़कर कुछ नही चाहिए होता है। महिलाएँ तो ईश्वर का रूप होती है।

हम सब की यही
पुकार स्त्री को
दो सम्मान।

8/10 DV

Protection Of Natural Environment

Nature has provided us numerous gifts such as air, water, land, sunlight, minerals, plants and animals. All these gifts of nature make our earth a place worth living. Existence on Earth would not be possible without any of these. Now, while these natural resources are present on Earth in plenty. Unfortunately, the necessity of most of these has increased extremely over the centuries due to growth in human population.

The environment contains under it the lithosphere, the atmosphere, the biosphere and the hydrosphere. The lithosphere refers to land surrounding us, hydrosphere contains all water bodies surrounding us, the atmosphere contains all the gaseous fluids around us. Land, water and air pollution are the main reason behind the degradation of the environment.

Environment protection implies taking care of and rescuing the environment protection should be spread the familiar people should know about the need and requirements of environment protection.

Environment degradation can be kept under check in some ways. People should be encouraged to plant trees. Forest and vegetation are bring cleared extensively for farming and construction purpose. It has led to the depletion of forest resources by humans in large quantity. The number of trees has diminished to a great extent. Trees are our only source of oxygen available in the air. This puts the entire humanity at risk. By facilitating the growth of trees, the greenery can be restored. The loss made can be compensated.

To protect the environment, the pollution rate should be decreased. Air, land, and water pollution needs to be kept under check. Utmost care should be taken while disposing of wastes in water bodies, reduced use of vehicles and transportation can help reduce air pollution. careless dumping of solid wastes on the ground can be decreased to regulate land pollution.

Saving water is yet another effective measure for environmental protection. Water is a vital resource, and it is essential for survival. The amount of fresh drinkable water on the earth is very less when compared to the enormous population. Water should thus be saved. The demand for water increases leaps and bounds while its supply keeps decreasing. Hence wastage and excessive use of water should be curtailed.

Waste management is yet another tenet. Management of waste implies proper disposal of trash. Practices such as dumping of untreated wastes in water bodies and [illegible] should be stopped. Appropriate waste bins, sewer system and garbage dumps should be present, where people can get rid of the waste. The municipality should adequately treat it.

Conclusion:

Tho, the number of ways in which to bring about environment management is numerous. People need to be more aware and responsible. They should understand the urgent need to be careful in their day-to-day dealing with nature and the environment. They should be more cautious.

1. Name:- Shiuly Nandi
2. Date of Birth - 16 August 2005
3. Mother's Name - Mrs Anjali Nandi
4. Father's Name - Mr S.N. Nandi
5. Home /Town - Rudrapur
6. District Name - Udham Singh Nagar.
7. School Name - Jaycees Public School
8. Class - 10th
9. Contact No - 98779468 47
10. E-mail ID - anjalinandi168@gmail.com

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

" संविधान दिवस " (26 नवम्बर 2020) के उपलक्ष्य पर
" मौलिक कर्तव्य और नागरिकों के कर्तव्य "

कविता

स्त्री सम्मान एवं सशक्तिकरण

भूले से मत कीजिए, नारी का अपमान,
नारी जीवनदायिनी, नारी है वरदान,

माँ बनकर देती जन्म, पत्नी बन संतान,
जीवन भर छाया करे, नारी वृक्ष समान,

नारी भारत वर्ष की, रखे अलग पहचान,
ले आई यमराज से, वापस पति के प्राण,

नारी कोमल निर्मला, होती फूल समान,
वक्त पड़े तो थाम ले, बरछी तीर कमान,

नारी के अंतर बसे, सहनशीलता ज्ञान,
ये है मूरत त्याग की, नित्य करे बलिदान,

नाम - सुमन पिता का नाम - श्री नारायण सिंह
कक्षा - 12th 'A' स्कूल का नाम - पं. पू. ति. राजकीय इन्टर कॉलेज धानाचूली (नैनीताल)

Poem on Women Dignity And Empowerment

8/10

Hey! Boy

Topic - Women dignity and empowerment

Hey boy, this time,
you are really gonna kill me.
Walk straight, you think it's a touch,
but you're really gonna hit me.
A foolish song that you sing,
No body have been listening.
I saw her smiling through way,
And you're really gonna be whistling.

But why don't you change yourself,
Your mind,
Stop this crime
But why do the girls get shame,
It's late and you can't blame.

The way you stare, Hey Boy.
Your eyes are ready to sink in.
Get nothing with your comments,
With someone would have idea for fixing.
I am totally done with your fights,
You may get a news soon that her family is shif
Her short clothes have never been a problem,
But what problem is Your Patriarchy.

But why don't you change yourself,
Your mind,
Stop this crime
But why do the girls get shame,
It's late and you can't blame.
Oh! Boy

Name : Gorika Arora
Date of Birth : 11 November 2006
Mother's name : Manju Arora
Father's Name : Lokesh Arora
Home Town : Rudrapur
District Name : Udham Singh Nagar
School's Name : Jaycees Public School
Class : 9th B
Contact No : 9760598343
E-mail ID : gorikaarora9138@gmail.com

हिन्दुस्तान हल्द्वानी • बुधवार • 30 दिसंबर 2020 • 06

उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण की चित्रकला, कविता और निबंध प्रतियोगिता के विजेता सम्मानित

मिस्बाह, हिमांशु, राधिका ने हुनर में सबको पछाड़ा

प्रतियोगिता

नैनीताल | हमारे संवाददाता

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से मंगलवार को उच्च न्यायालय परिसर में चित्रकला, कविता और निबंध प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चयनित प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह ने अव्वल रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। तत्कालीन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला जज आरके खुल्बे ने बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर बीती 9 से 20 नवंबर तक मौलिक कर्तव्य और नागरिकों के कर्तव्य विषय पर ऑनलाइन माध्यम से चित्रकला, कविता और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

बच्चों के विकास को कार्यक्रम महत्वपूर्ण: जस्टिस मलिमथ

कार्यक्रम में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जागरूकता पैदा करने वाले ऐसे कार्यक्रम बच्चों के ज्ञान एवं विकास के लिए अति आवश्यक हैं। जिससे उन्हें राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामंजस्य एवं भाईचारे के महत्व की जानकारी मिल सके। तत्कालीन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव एवं जिला जज आरके खुल्बे ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए सिर्फ नैनीताल जिले के विजेताओं को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया।

ये रहे प्रथम

कविता लेखन में प्रथम मिस्बाह नाज, द्वितीय पुरस्कार रिया जोशी बीयरशिबा हल्द्वानी, तृतीय कोमल बिष्ट नैनीताल को दिया गया। चित्रकला में हिमांशु जोशी हल्दूचौड़, द्वितीय हिमानी बिष्ट रामनगर, तृतीय भूमिका जोशी चिल्ड्रन एकेडमी को दिया गया।

---

4 **दैनिक जागरण** हल्द्वानी, 30 दिसंबर, 2020

www.jagran.com

बच्चों के ज्ञान और विकास को जागरूकता कार्यक्रम जरूरी

नैनीताल के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को कार्यवाहक चीफ जस्टिस रवि मलिमठ (बाएं से चौथे) व न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह (बाएं से छठे) ने मंगलवार को पुरस्कृत किया • जागरण

जस्टिस मलिमठ बोले

जासं, नैनीताल: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संविधान दिवस पर स्कूली बच्चों की निबंध, चित्रकला व कविता लेखन प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। मंगलवार को प्राधिकरण सभागार में प्राधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष व हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने जस्टिस लोकपाल सिंह की मौजूदगी में विजेताओं को पुरस्कृत किया। प्रथम विजेता को पांच हजार, द्वितीय को तीन हजार व तृतीय को दो हजार रुपये इनामी राशि दी गई। ऐसी प्रतियोगिताओं को बच्चों के ज्ञान व विकास के लिए जरूरी बताया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजीव खुल्बे ने बताया कि नौ से 20 नवंबर तक मौलिक कर्तव्य और नागरिकों के कर्तव्य विषयक ऑनलाइन चित्रकला, कविता व निबंध प्रतियोगिता हुई। 90 विद्यालयों से 600 प्रविष्टियां मिलीं। 18 का चयन हुआ। पुरस्कार विजेताओं को गृह जनपदों में दिए जाएंगे। इस अवसर पर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी, रमाकांत चौधरी आदि मौजूद थे। संचालन प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी मो. युसुफ ने किया।

इन होनहारों ने लहराया परचम

शाह टाइम्स

हल्द्वानी, बुधवार, 30 दिसम्बर 2020 5

जागरुकता से होता है ज्ञान का विकास: रवि मलिमथ

चित्रकला, कविता व निबन्ध प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को पुरस्कार

बुधवार • 30.12.2020

अमर उजाला 04

चित्रकला में हिमांशु, कविता में मिशवाह अव्वल

हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने बच्चों को पुरस्कृत किया

संवाद न्यूज एजेंसी

नैनीताल। हाईकोर्ट परिसर में मंगलवार को चित्रकला, कविता और निबंध प्रतियोगिता में अव्वल रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की उपस्थिति में किया गया।

उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निदेशक न्यायाधीश आरके खुल्बे ने बताया कि संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर नौ नवंबर से 20 नवंबर तक मौलिक कर्तव्य और नागरिकों के कर्तव्य विषय पर ऑनलाइन चित्रकला, कविता और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। कविता लेखन में मिशवाह नाज जीआईसी कासिमपुर हरिद्वार, रिया जोशी बियरशिबा स्कूल हल्द्वानी और कोमल बिष्ट एमपीएलएस बाल विद्या मंदिर नैनीताल क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय चुनी गईं। चित्रकला के लिए प्रथम

विजेता प्रतिभागियों के साथ न्यायाधीश रवि मलिमठ और लोकपाल सिंह।

पुरस्कार हिमांशु जोशी जीयूपीएस दीना हल्दूचौड़ हल्द्वानी, द्वितीय पुरस्कार हिमानी बिष्ट जवाहर नवोदय विद्यालय रामनगर और तृतीय पुरस्कार भूमिका जोशी चिल्ड्रन एकेडमी को दिया गया। निबंध लेखन में राधिका नौटियाल गणेश दत्त गोस्वामी विद्यालय उत्तरकाशी प्रथम, रेशमा गड़िया जीआईसी तलवाड़ी चमोली द्वितीय और मानवी नगरकोटी हिमालयन सेंट्रल स्कूल बागेश्वर को तृतीय रहने पर पुरस्कृत किया गया। न्यायमूर्ति रवि मलिमठ ने कहा कि ऐसे जागरूकता कार्यक्रम बच्चों के ज्ञान एवं विकास के लिए जरूरी हैं, जिससे उन्हें राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामंजस्य एवं भाईचारा का महत्व पता चल सके। न्यायाधीश आरके खुल्बे ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए जनपद नैनीताल के विजेताओं को कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया।

Winners of USLSA competitions awarded by Justice Malimath

PNS ■ NAINITAL

The students who won positions in online competition in poetry, drawing and essay writing organised by the Uttarakhand State Legal Services Authority (USLSA) on the occasion of Constitution Day were awarded by the Uttarakhand high court acting chief justice and USLSA executive chairman Ravi Malimath in the presence of justice Lok Pal Singh. Speaking on the occasion, he said that such awareness programmes are needed for knowledge and development of children so that they can realise and understand the importance of national unity, integrity, harmony and brotherhood.

District judge/member secretary RK Khulbey informed that the competition was held on the topics of fundamental duties and citizen's duties with the aim of making the students aware about the Indian constitution and fundamental duties. About 600 entries were received from 90 schools under two categories. The prize included a cash award of Rs 5,000 for the first position,

Rs 3,000 for the second position and 2,000 for the third position holder. Considering the Covid-19 pandemic situation, the winners of Nainital district were invited to participate in the prize giving ceremony while the rest of the winners will be provided their certificates, trophy and cash prize at the districts they reside in. The high court registrar general Dhananjay Chaturvedi and other officials were also present on the occasion.

आज

www.ajhindidaily.com

प्रतियोगिता के विजेता हुए सम्मानित

नैनीताल, बुधवार 30 दिसम्बर, 2020

उत्तर उजाला 3

संविधान दिवस पर हुई प्रतियोगिता के विजेता पुरस्कृत

SPECIAL E-LOK ADALAT:

As per directions of National Legal Services Authority and under the valuable guidance of Hon'ble the Executive Chairman, UKSLSA, Nainital, **First e-Lok Adalat** was organized in the State of Uttarakhand from Tehsil Level to the High Court Level in all Courts and Quasi Judicial Authorities on 12.09.2020. In this e-LokAdalat apart from money recovery cases, Civil and Criminal Cases, the matters pertaining to labour disputes, revenue disputes, land acquisition act, family disputes, MACT NI Act, water and electricity and all such matters which can be settled amicably were taken up.

In this e-LokAdalat, total **5465** cases were taken up and out of them **2004** cases were settled amicably. Amount to the tune of **Rs. 25,29,42,228.50** was settled.

e-Lok Adalat organized on 12.09.2020 throughout the State of Uttarakhand

LEGAL AWARENESS ON COMMEMORATIVE DAYS:

WEBINAR ON "HIMALAYAN DAY":

On the occasion of **"Himalayan Day"** a webinar was organized by the Uttarakhand State Legal Services Authority on 09th September, 2020. The said webinar was attended by

all the Secretaries of DLSAs of the State. 02 Panel Lawyers and 05 PLVs from each the DLSAs were also attended the said webinar. During the webinar, Member Secretary, Uttarakhand SLSA, Nainital has informed the participants that social thinking is very necessary for the protection of Trees. To stop forest fire and cutting of trees is social responsibility of all the citizens. It is very important to change the mindset of women of hilly districts/areas, so that unnecessary cutting of trees and forest fire may be stopped. Industrialization favorable for hilly areasshould be encouraged.

"INTERNATIONAL DAY OF DEMOCRACY"

On 15.09.2020, **"International Day of Democracy"** was observed. All the 13 DLSAs organized Webinars through Video Conference.

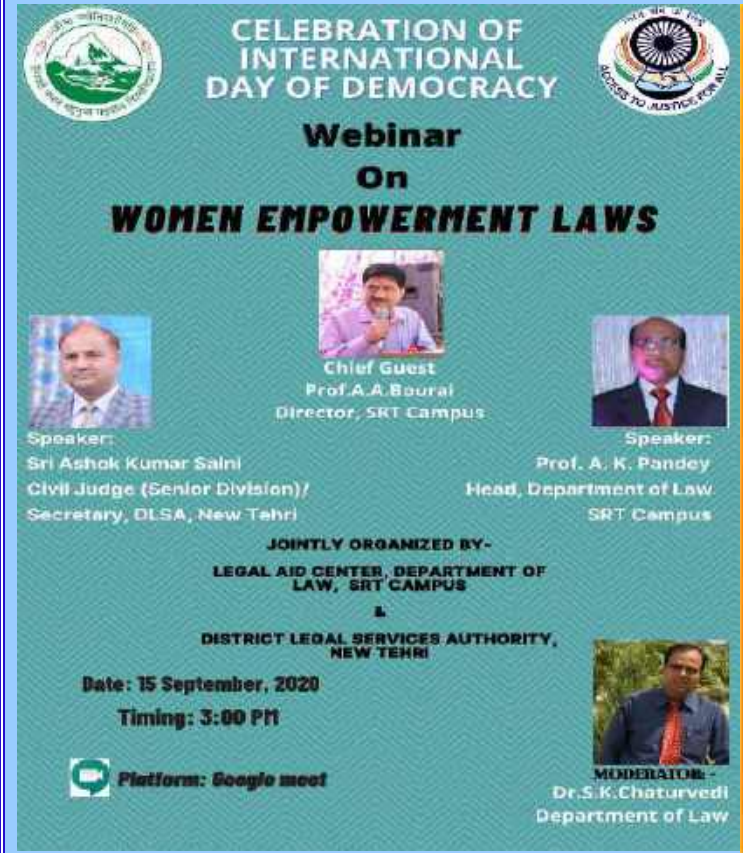

दैनिक जागरण
देहरादून, 16 सितंबर, 2020
www.jagran.com
3

छात्र–छात्राओं को दी महिला अधिकारों की जानकारी

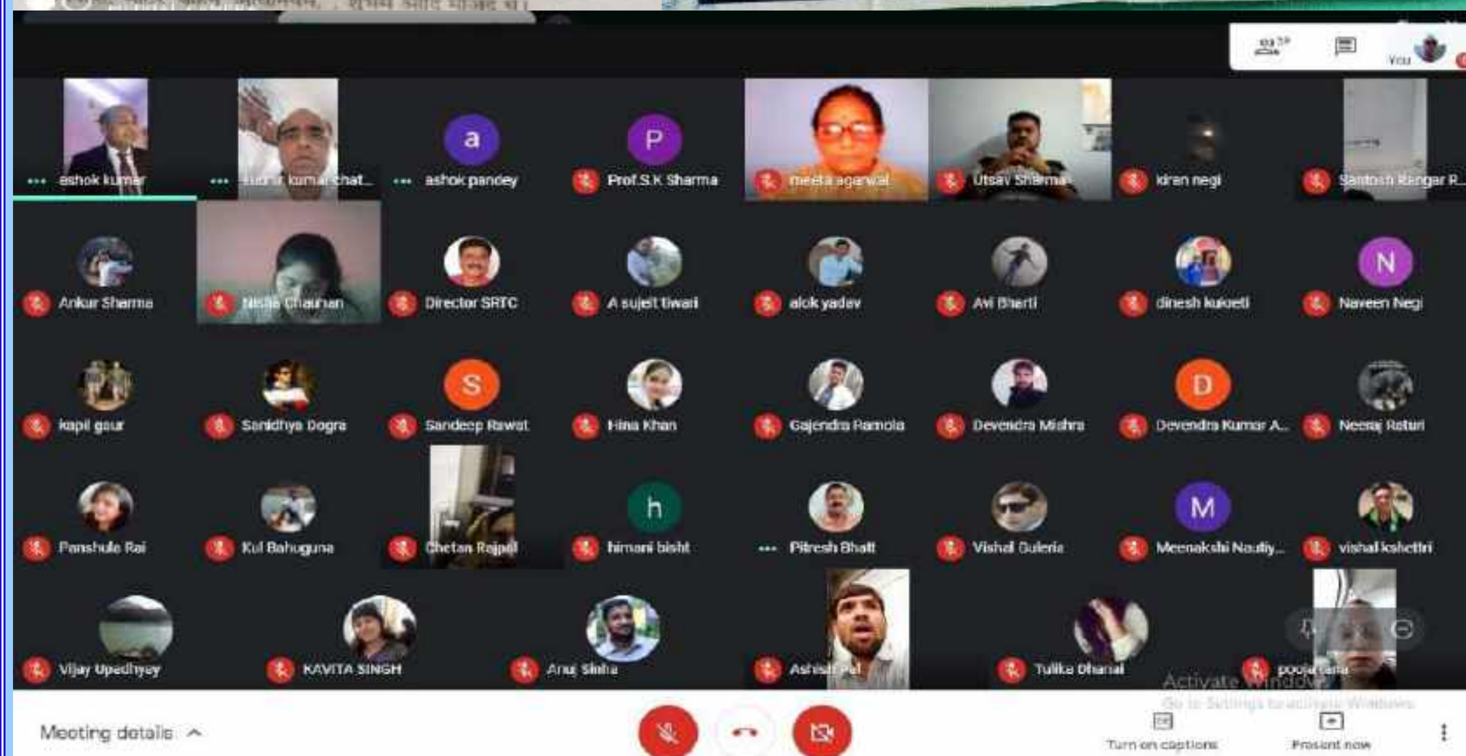

UTTARAKHAND SLSA'S GUIDELINES FOR FUNCTIONING OFVILLAGE LEGAL CARE & SUPPORT CENTERS/LEGAL AID CLINICSAND PARA-LEGAL VOLUNTEERS, 2020

For proper functioning of the Legal Aid Clinics and Village Legal Care & Support Centers (VLCSCs) and with regard to work/activities of Para-Legal Volunteers enrolled with all the District Legal Services Authorities, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital has been pleased to approve the following guidelines for the functioning of VLCSCs & working of PLVs throughout the State of Uttarakhand:-

1. These guidelines may be called **"UTTARAKHAND SLSA'S GUIDELINES FOR FUNCTIONING OF VILLAGE LEGAL CARE & SUPPORT CENTERS/LEGAL AID CLINICS AND PARA-LEGAL VOLUNTEERS,2020**."

2. These guidelines shall be applicable to all the District Legal Services Authorities and Tehsil Legal Services Committees established in the State of Uttarakhand.

3. These guidelines shall come into force from **w.e.f. September 01st, 2020**.

4. These guidelines shall be applicable only for the Village Legal Care & Support Centers (***hereinafter referred as "VLCSCs"***) and Legal Aid Clinics established in the Municipal or Rural areas of the State of Uttarakhand.

   It is made clear that the Legal Services Clinics at various Institutions or places like; Front Offices at the Legal Services Institutions, Juvenile Justice Boards, Jails, Hospitals, Common Service Centres, Police Stations, Colleges or Universities, Nari Niketans, Senior Citizens Tribunals, DM/Tehsil Offices, Labour Stations, etc. shall work as per the need and requirement of such Institutions or places.

5. The VLCSCs may be established for a cluster of 10 to 15 villages or at Tehsil/Mandal/Block Level. The said criteria of cluster of 10 to 15 villages can be modified on the basis of availability of financial resources, progress of the functioning of VLCSCs so established and ascertaining their requirements.

6. The DLSA shall evaluate and assess the performance of VLCSCs or Legal Aid Clinics. The VLCSCs or Legal Aid Clinics, which are not so effective, may be closed. Limited number of effectively functional VLCSCs or Legal Aid Clinics may be strengthened and kept operational.

7. The DLSA shall arrange the necessary infrastructure and furniture for the VLCSCs. The Chairperson, DLSA may request the local self- government bodies to provide the necessary infrastructure and furniture etc. for the VLCSCs.

8. All the VLCSCs shall be opened for 03 days in a week. These 03 days shall be fixed by the concerned DLSA.

   Provided, that the Chairperson, DLSA may increase or decrease the frequency of opening days of VLCSCs as per the requirement of the area.

9. The DLSA shall ensure the vide publicity of the VLCSCs, so that the needy people can approach the VLCSCs for legal aid and advice etc. It shall be the duty of the Secretary, DLSA that the VLCSCs be effectively operational.

10. The DLSA shall depute/engage one (01) Para Legal Volunteer (***hereinafter referred as "PLV"***) at the each VLCSC.

11. The DLSA shall evaluate and assess the performance of PLVs. The services of such PLVs, whose work and conduct are not found satisfactory and effective, shall be terminated. Limited number of active and effective PLVs may be engaged.

12. The PLVs shall be as far as possible from the Municipal or Village or Panchayat area of the nearest surrounding areas.

13. If the retired Army Personnel are available in any Judgeship or Talukas then preference shall be given to them to engage as Para Legal Volunteers.

14. The PLV shall perform his/her duties in accordance with the provisions of the NALSA's Schemes and Regulations and directions issued by Uttarakhand SLSA time to time.

15. The PLVs shall mainly work at the VLCSCs. The PLVs shall ensure the vide publicity of VLCSCs, so that the people nearby can get the knowledge regarding the functioning and availability of VLCSCs.

16. The PLVs at the VLCSCs on any working day allotted to him/her shall be allowed to visit the Government Officials, Departments or other Institutions and if necessary even by accompanying legal aid seekers for solving their problems or ensuring any legal aid benefit. The PLVs shall be entitled for honorarium for any such activity on such particular day.

17. No legal awareness camp/drive shall be organized/conducted by any PLV or Panel Lawyer except the prior approval of the concerned DLSA. The Secretary, DLSA shall depute/engage the PLVs to go to the villages/remote areas for propagation of the legal aid programmes in legal aid camps and other activities assigned by the Uttarakhand SLSA/DLSA; subject to the condition that 01 PLV may be engaged for a maximum period of 10 days in a month.

18. The Secretary, DLSA shall prepare a monthly Plan of Activities keeping in mind the Plan of Action prepared by the Uttarakhand SLSA. The said Plan of Activities shall be prepared by 15th day of each month (for the next month) and shall also be put up before the Chairperson, DLSA for approval. After approval, it shall be communicated to PLVs/Panel Lawyers for effective implementation. A copy of Plan of Activities shall also be sent to the Uttarakhand SLSA.

19. At the time of preparation of said Plan of Activities, it shall be kept in mind that no PLV shall be engaged or deputed for more than 10 days in a month. Therefore, the PLVs may be deputed/engaged on rotation basis at the VLCSCs.

Provided, that the services of more efficient and sincere PLVs may be availed for more than 10 days in exception circumstances, like some special campaign or drive, if the Secretary, DLSA thinks fit that services of such PLV are required.

20. At the time of preparation and implementation of the said Plan of Activities, the austerity measures regarding financial resources shall also be kept in mind.

21. The PLV deputed/engaged at VLCSCs shall send his/her attendance (with photograph) through Whatsapp, e-mail or other mode of communication at the time of opening and closing of VLCSCs to the Secretary, DLSA or to an official or Retainer Lawyer or Panel Lawyer as authorized by the Chairperson, DLSA.

22. The PLV deputed/engaged at VLCSCs shall send photograph of the register kept at VLCSCs at the time of closing of VLCSCs to the office of DLSA through Whatsapp, e-mail or other mode of communication.

23. The Secretary, DLSA shall verify the works of PLVs on the basis of entries in Registers, phone call to beneficiary or legal aid seekers or any other suitable method. The Secretary, DLSA can take assistance or help of local self-governments or District Administration or Retainer Lawyer or Panel Lawyer for the verification of work done report of PLVs.

24. The PLVs shall submit their bills by 10th day of each month with proper proof of work. After late submission of bills, the DLSA shall not be responsible for payment to PLVs.

Provided, that the Chairperson, DLSA on his/her satisfaction may consider the late submission of bills on the basis of special reasons given by the PLV concerned.

25. The Secretary, DLSA shall verify the bills of PLVs and, after proper verification, payment shall be made to PLVs. The payment to the PLVs should be made strictly after due verification. Before making the payment to PLVs, it should be ensured that no payment be made beyond the period of 10 days in a month.

26. The DLSA shall ensure that the services of Panel Lawyers be made available at the VLCSCs as and when required.

27. The DLSA shall engage One Legal Aid Panel Lawyer to visit one or more VLCSCs on fortnightly basis. Such engaged Legal Aid Panel Lawyer shall prepare periodical report of the working of VLCSCs and submit it to the DLSA.

28. The DLSA shall receive the monthly report from the PLVs engaged in the VLCSCs about the performance of VLCSCs as well as of PLVs.

29. The DLSA shall submit the monthly report at the time of submission the monthly statements. The monthly report shall include the success stories regarding the performance of VLCSCs as well as of PLVs.

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के ग्रामीण विधिक सेवा एवं सहायता केन्द्रों/ विधिक सहायता क्लीनिक्स एवं पराविधिक कार्यकर्ताओंके कार्य पद्धति सम्बन्धी दिशा–निर्देश, 2020

1. यह दिशा–निर्देश **''उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के ग्रामीण विधिक सेवा एवं सहायता केंद्रों/विधिक सहायता क्लीनिक्स एवं पराविधिक कार्यकर्ताओं के कार्य पद्धति सम्बन्धी दिशा–निर्देश, 2020''** कहे जायेंगे।

2. यह दिशा–निर्देश उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों और तहसील विधिक सेवा समितियों पर लागू होंगे।

3. यह दिशा–निर्देश 01 सितंबर, 2020 से प्रभावी होंगे।

4. यह दिशा–निर्देश, उत्तराखण्ड राज्य के नगरपालिका या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित ग्रामीण विधिक सेवा एवं सहायता केंद्रों (जिन्हें एतद्पश्चात ***"VLCSCs"*** कहा गया है) एवं विधिक सहायता क्लीनिक्स के सम्बन्ध मात्र में लागू होंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि विभिन्न संस्थानों या स्थानों जैसे; विधिक सेवा संस्थानों पर फ्रंट ऑफिस, किशोर न्याय बोर्ड, जेल, अस्पताल, कॉमन सर्विस सेंटर, पुलिस स्टेशन, कॉलेज या विश्वविद्यालय, नारी निकेतन, वरिष्ठ नागरिक न्यायाधिकरण, डीएम/तहसील कार्यालय, लेबर स्टेशन इत्यादिपर विधिक सहायता क्लीनिक्स उक्त संस्थानों या स्थानों की आवश्यकता एवं उपयोगिता के अनुसार कार्य करेंगे।

5. VLCSCs की स्थापना 10 से 15 गांवों के समूह या तहसील/मंडल/ब्लॉक स्तर पर की जा सकेगी। 10 से 15 गांवों के समूह के मानदंडों को वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता,VLCSCs के कार्य पद्धति की प्रगति तथा उनकी आवश्यकता के मूल्यांकन के आधार पर संशोधित किया जा सकेगा।

6. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, VLCSCs अथवा विधिक सहायता क्लीनिक के कार्य का मूल्यांकन एवं आंकलन करेगा। ऐसे VLCSCs या विधिक सहायता क्लीनिक, जो प्रभावी नहीं हैं, बंद किये जा सकते हैं। सीमित संख्या में प्रभावी VLCSCs अथवा विधिक सहायता क्लीनिक्स सुदृढ़ एवं संचालित किये जा सकेंगे।

7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, VLCSCs के लिए आवश्यक बुनियादी ढ़ांचे और फर्नीचर की व्यवस्था करेगा। अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थानीय स्व–सरकारी निकायों से VLCSCs के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकते हैं।

8. समस्त VLCSCs सप्ताह में 03 दिनों के लिए खोले जाएंगे। उक्त 03 दिन संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

परन्तु, यह कि, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्षेत्र की आवश्कता के अनुसार VLCSCs खोले जाने के दिनों की आवृत्ति बढ़ा या घटा सकेंगे।

9. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण VLCSCs का वृहद् प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति VLCSCs पर कानूनी सहायता और सलाह आदि के लिए संपर्क कर सकें। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का दायित्व होगा कि VLCSCs का संचालन प्रभावी हो।

10. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,प्रत्येक VLCSC पर एक पराविधिक कार्यकर्ता (जिसे एतद्पश्चात ***"PLV"*** कहा गया है) को तैनात करेगा।

11. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण PLV के कार्यों का मूल्यांकन एवं आंकलन करेगा। ऐसे PLVs, जिनका कार्य और आचरण संतोषजनक और प्रभावी नहीं होगा,की सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी। सीमित संख्या में सक्रिय और प्रभावी PLVs तैनात किये जायेंगे।

12. PLVs यथासंभव, नगर या ग्राम या पंचायत के आस–पास के क्षेत्रों का होगा/होगी।

13. यदि कोई सेवानिवृत्त सेना कार्मिक, किसी न्यायालय क्षेत्रया तालुका में उपलब्ध हैं, तो उनको PLVs के रूप में तैनात करने के लिए अधिमान दिया जायेगा।

14. PLVs, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं व विनियमों तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगा/करेगी।

15. PLVs, मुख्य रूप से VLCSCs पर कार्य करेंगे। PLVs, VLCSCs का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करेंगें, ताकि आसपास के लोगों को VLCSCs की कार्यप्रणाली और उपलब्धता के बारे में जानकारी हो सके।

16. VLCSCs पर तैनात PLVs को किसी भी कार्य दिवस, शासकीय अधिष्ठानों, विभागों या अन्य संस्थानों पर जाने तथा यदि आवश्यक हो तो कानूनी सहायता चाहने वाले व्यक्तियों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान अथवा किसी कानूनी सहायता लाभ को सुनिश्चित करने हेतु, जाने की अनुमति दी जायेगी। PLVs ऐसे किसी विशेष दिन पर की गयी उपरोक्त किसी गतिविधि हेतु मानदेय के लिए हकदार होगा/होगी।

17. कोई भी PLV या पैनल अधिवक्ता, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्व अनुमति के बिना विधिक जागरूकता शिविर/अभियान आयोजित नहीं करेगा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सहायता शिविरों में विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के प्रचार में जाने तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य कार्यों के लिए PLVs को इस शर्त के साथ तैनात करेगा, कि 01 PLV एक माह में अधिकतम 10 दिनों के लिए ही तैनात हो सकेगा।

18. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना को ध्यान में रखते हुए मासिक कार्ययोजना तैयार करेंगे। उक्त कार्ययोजना प्रत्येक माह के 15वें दिन (अगले माह के लिए) तैयार की जाएगी और अनुमोदन के लिए अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष भी रखी जाएगी। अनुमोदन के उपरान्त, इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, PLVs/Panel Lawyers को संदर्भितकी जायेगी। कार्ययोजना की एक प्रति उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी भेजी जाएगी।

19. उपरोक्त कार्ययोजना की तैयारी के समय, यह ध्यान में रखा जाएगा कि कोई भी PLV एक माह में 10 से अधिक दिनों के लिए तैनात या प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा। इसलिए, PLVs को VLCSCs पर रोटेशन के आधार पर तैनात/प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

परन्तु, यह कि, अपरिहार्य परिस्थितियों में अधिक कुशल एवं निष्ठावान PLVs की सेवायें 10 दिनों से अधिक के लिए भी ली जा सकती हैं, यदि सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को लगता है कि ऐसे PLVs की सेवाओं की आवश्यकता है।

20. उक्त कार्ययोजना के बनाने और कार्यान्वयन के समय, वित्तीय संसाधनों के सम्बन्ध में मितव्ययिता के उपायों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

21. VLCSCs पर प्रतिनियुक्त/तैनात PLV अपनी उपस्थिति (फोटोग्रॉफ सहित)व्हट्सएप्प, ई–मेल या संचार के अन्य साधनों के माध्यम से VLCSCs के खोलने व बंद करने के समय, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिकृत किसी कार्मिक या रिटेनर अधिवक्ता या पैनल अधिवक्ता को भेजेगा/भेजेगी।

22. VLCSCs पर प्रतिनियुक्त/तैनात PLV, VLCSCs को बंद करने के समय VLCSCs पर रखे गये रजिस्टर के फोटोग्राफ, व्हट्सएप्प, ई–मेल या संचार की किसी अन्य प्रणाली के माध्यम से, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय को भेजेगा/भेजेगी।

23. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रजिस्टरों में प्रविष्टि, लाभार्थी या विधिक सहायता प्राप्तकर्ता को फोन कॉल या अन्य किसी उपयुक्त तरीके से PLVs के कार्यों को सत्यापित करेंगे। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण PLVs की कार्य सम्पादित आख्या के सत्यापन हेतु स्थानीय स्व–शासन या जिला प्रशासन या रिटेनर अधिवक्ता या पैनल अधिवक्ता का सहयोग या सहायता ले सकेंगे।

24. PLVs प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अपने बिल किये गये कार्यों के उचित प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेंगे। बिलों के विलंब से जमा किये जाने के पश्चात्, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, PLVs को भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं होगा।

परन्तु, यह कि, अध्यक्ष,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपनी संतुष्टि पर, संबंधित PLVद्वारा विशेष कारण प्रस्तुत किये जाने पर बिलों के विलंब से प्रस्तुत किये जाने पर, विचार कर सकते है।

25. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, PLVs के बिलों का सत्यापन करेंगे और, उचित सत्यापन के उपरान्त, PLVs को भुगतान किया जायेगा। PLVs को भुगतान उचित सत्यापन के पश्चात ही किया

जायेगा। PLVs को भुगतान करने से पूर्व, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एक माह में 10 दिनों से अधिक अवधि का भुगतान न किया जाये।

26. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि, जब और जहाँ, आवश्यकता हो VLCSCs पर पैनल अधिवक्ता की सेवायें उपलब्ध करायी जाये।

27. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक या अधिक VLCSCs के द्वि–साप्ताहिक (Fortnightly) निरीक्षण हेतु विधिक सहायता पैनल अधिवक्ता को तैनात करेगा। उक्त तैनात पैनल अधिवक्ता VLCSCs के कार्य संबंधी आवधिक रिपोर्ट तैयार करेगा/करेगी तथा उक्त रिपोर्ट को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे।

28. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, VLCSCs पर तैनात PLVs से VLCSCs तथा PLVs के कार्य निष्पादन के विषय में मासिक रिपोर्ट प्राप्त करेंगे।

29. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मासिक विवरण प्रस्तुत करते समय मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मासिक रिपोर्ट में VLCSCs तथा PLVs के कार्य निष्पादन से संबंधित सफल कहानियां सम्मिलित होंगी।

BOARD MEETING OF UTTARAKHAND SLSA, NAINITAL

During the period from July-2020 to December-2020, Two Board Meetings of Uttarakhand SLSA, Nainital were organized. 18th Board Meeting was organized on 25th September-2020 and 19th Board Meeting on 15th December, 2020. On the basis of resolutions passed in aforesaid Board Meetings some important work regarding Legal Services Activities have been done by the State Government and other stakeholders.

For example, keeping in mind the Scheme, **"SANKALP: NASHAMUKT DEV BHOOMI"** it was resolved that considering gravity of the issues, the State Government will do the needful speedily for the establishment of de-addiction and rehabilitation centers at Nainital and Dehradun, as a pilot project and thereafter in every district.

Vide Notification No. 360/XXXVI-A-1/2020-8 Ek (5)/2006 Dehradun dated 11.12.2020, the State Government has notified that for the purpose of meeting incidental and contingent expenditure, a permanent advance (imprest money) of Rs. 25,000/- shall be placed at the disposal of Member Secretary of the State Authority.

Further, the Government of Uttarakhand vide notification dated 11.12.2020 has also approved the imprest money of Rs. 25,000/- to the High Court Legal Services Committee,

Nainital and also notified that, for meeting incidental and contingent expenditure a permanent advance (imprest money) of Rs. 10,000/- shall be placed at the disposal of Secretary, to the District Legal Services Authorities.

With regard to permanent appointment on the post of Secretary, High Court Legal Services Committee, the Uttarakhand Govt. has notified an amendment in the Rules as here under:

"Such Civil Judge who has an experience of minimum 05 years in such form be eligible for appointment as Secretary to the High Court Legal Services Committee."

CELEBRATION OF "CONSTITUTION DAY" ON 26.11.2020:

Preamble of the Constitution of India had been read out at 11:00 AM by His Excellency, Hon'ble President of India.The programme was attended and followed by the Member Secretary & Officer on Special Duty and other Officers & Employees of Uttarakhand SLSA, Nainital in the conference hall of UKSLSA, Nainital through online. Preamble of the Constitution of India had also been read out at 11:00 AM by all the District Legal Services Authorities, in the State of Uttarakhand.

TELE-LAW PROGRAMME:

Government of India is implementing a project titled 'Citizens Duties Awareness Programme (CDA) since November, 2019 for a period of one year. Focus areas of the project is to spread awareness about the Fundamental Duties amongst the masses throughout the country. During the period 02 programmes were organized by the DLSA, Haridwar.

1. On 11th July, 2020 a programme/webinar under Citizens Duties Awarenes Programme was organized by the DLSA, Haridwar in cooperation with e-District Manager Haridwar. In the said programme Sh. Vikas Kumar Jain, Nodal Officer of the programme, Retainer Advocate, DLSA Haridwar and Sh. Anuj Kumar Sharma, Resource Person of the programme made aware the common mass through webinar by connecting through facebook live. The theme of the programme was **"Apne Maulik Kartavya Nibhayen, Desh Ko Mahan Banayen" (अपने मौलिक कर्तव्य निभायें, देश को महान बनायें).**

2. Under the Citizen's Duties Awareness Programme 02 Awareness Programme/Sessions through Facebook Live/Webinar/Google Meet were organized on 27.07.2020 and on 21.09.2020. Both the programmes were organized with the help of Swan Center, Collectrate, Haridwar and e-District Manager Sh. Abhishek Chauhan. Sh. Vikas Kuman Jain, Panel Lawyer was the Nodal Officer. The theme of the said programmes were **"Dwesh Se Pahle Desh Ko Rakhen, Lok Sammpati Ki Suraksha Karen" (द्वेष से पहले देश को रखें, लोक सम्पत्ति की सुरक्षा करें) and "Apne Samvidhan Evam Rastriya Prateekon**

ka Samman" (अपने संविधान एवं राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान). By these programmes common mass were made about the aforesaid subject.

UTTARAKHAND SLSA SCHEME-2020:

A scheme, namely "**Uttarakhand State Legal Services Authority (Legal Services for Victims of Female Foeticide, Female Infanticide, Child Trafficking, Forced Marriages and Eradication of Forest Fire and Saving the Girl child) Scheme, 2020**" is being implemented in District-Bageshwar, as a Pilot Project. On the kind direction of Hon'ble Executive chairman, Uttarakhand SLSA, the sensitization programmes were conducted as per the scheme on 28.11.2020 and 29.11.2020 at Block Office-District-Bageshwar. In the said sensitization programmes, respected Member Secretary and Officer on Special Duty, Uttarakhand SLSA sensitized the Para Legal Volunteers, Panel Lawyers, ANMs, Aanganbadi Workers, Asha Workers and Gram Pradhans. During the sensitization programmes, the participants were apprised about the main objectives of the scheme and they were further sensitized regarding the ill-practices like female foeticide, female infanticide, child trafficking, earlier marriages and environmental issues.

During the programmes, Dr. G.K. Sharma, Member Secretary, Uttarakhand SLSA apprised the participants that the information regarding the pregnancy with respect to their deliveries should be shared by the ANMs, Aanganbadi workers and Asha workers to their controlling authority like District Coordinator etc. The Controlling Authority further should share this information to the DLSA. The DLSA shall share this information with the SLSA. Appropriate action shall be taken in the suspicious cases, if found. During the sensitization programmes, training was imparted to the total 315 participants.

www.jagran.com

अल्मोड़ा/बाग

एक नजर

किसानों की समस्याओं का समाधान करे सरकार

जासं, अल्मोड़ा : उत्तराखंड लोकवाहिनी ने मजदूरों, कर्मचारियों व किसानों की समस्याओं का समाधान किए जाने की मांग उठाई है। वाहिनी की यहां हुई बैठक में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद किए जाने का विरोध किया गया। कहा गया कि इस व्यवस्था को पूर्ववत बनाए रखने की मांग की गई। इसके अलावा मजदूरों व किसानों के जीवनयापन के लिए रोजगार योजनाएं तैयार किए जाने, न्यूनतम वेतन 18 हजार किए जाने की मांग की गई। कहा गया कि केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में पारित मुक्त कृषि व्यापार अधिनियम के परिणाम किसानों के हित में नहीं है। बैठक में पूरन चंद तिवारी, जगत रौतेला, जंगबहादुर थापा, कुणाल तिवारी, अजय मेहता, अजयमित्र बिष्ट, शमशेर जंग गुरुंग, हारिस मोहम्मद आदि मौजूद रहे।

संजय बने मंडलीय सचिव

जासं, बागेश्वर : संजय कुमार टम्टा (...) को अनुसूचित जाति-जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने मंडलीय सचिव नियुक्त किया है। ऑनलाइन बैठक के दौरान संगठन के कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष बीआर धामकोटी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी मिलने के बाद टम्टा ने संगठन का आभार जताया। उन्होंने मंडल स्तर पर संगठन को मजबूत करने, शिक्षकों की समस्याओं के निदान और पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष करने की बात कही। इधर उनके मंडल महासचिव नियुक्त होने पर संगठन के जिलाध्यक्ष हरीश आगरी, महासचिव चिंतामणि टम्टा, कोषाध्यक्ष गोविंद आगरी, नवल किशोर, संजय कुमार टम्टा आदि ने खुशी जताई है।

जन सहयोग के बिना खत्म नहीं होंगी सामाजिक बुराइयां

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू

जागरण संवाददाता, बागेश्वर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण के पहले दिन विषय विशेषज्ञों ने कहा कि बिना जन सहयोग के सामाजिक बुराइयों का खात्मा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए गांव-गांव जाकर अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा।

शनिवार को ब्लाक सभागार में आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दो दिवसीय प्रशिक्षण के विशिष्ट अतिथि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी मो. युसुफ ने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि आज भी प्रदेश में भ्रूण हत्या, बाल विवाह, मानव तस्करी का ग्राफ कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। इसी के खात्मे को लेकर यह प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। बागेश्वर को पायलट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में भ्रूण हत्या का एक हजार करोड़ रुपये का अवैध कारोबार चलता है। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य अतिथि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रदेश सचिव ज्ञानेंद्र शर्मा ने विस्तार से अपने छह महीने के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रशिक्षण में उपस्थित लोगों को बताई। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के तहत सरकारी विभाग, समाज कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास, पंचायत राज, शिक्षा विभाग, वन विभाग को इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसके तहत गांव-गांव में कार्यशाला आयोजित कर कानूनी जानकारियां दी जाएगी। जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। इस अवसर पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जीएस भंडारी, राजेंद्र बिष्ट, दलीप खेतवाल, इंद्र सिंह परिहार, बाला दत्त तिवाड़ी सहित कई आंगनबाड़ी, आशा व ग्राम प्रधान मौजूद थे।

बागेश्वर के विकास खंड सभागार में शनिवार को आयोजित प्रशिक्षण शिविर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रदेश सचिव ज्ञानेंद्र शर्मा (मध्य में) • जागरण

भ्रूण हत्या, बाल विवाह पर पूरी तरह लगेगा अंकुश

जासं, बागेश्वर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रदेश सचिव जज ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि बागेश्वर में अगले छह माह में भ्रूण हत्या, बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर पूरी तरह अंकुश लग जाएगा। इसके लिए अब धरातल पर कार्य किए जा रहे हैं। प्रदेश में सबसे पहले यह कार्य बागेश्वर जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रहा है। शनिवार को ब्लाक सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रदेश सचिव ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि पहाड़ पर भी बाल विवाह, भ्रूण हत्या, मानव तस्करी जैसी कुप्रथा जिंदा है। पिछले दो दिनों में तीन बाल विवाह रुकवाए गए हैं। अभी ऐसे कई जगहों पर रह बाल विवाह हो रहे होंगे। सामाजिक पिछड़ापन, अशिक्षा इसका मुख्य कारण है। इन्हीं सामाजिक बुराइयों को जड़ से दूर करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण पूरे प्रदेश में कार्य शुरू कर रहा है। अगले छह महीने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बागेश्वर जिले से इस कार्य की शुरुआत होगी। यहां जिस तरीके से हम कार्य करेंगे फिर उसी पद्धति को प्रदेश के अन्य जिलों में भी अपनाया जाएगा। जज ज्ञानेंद्र शर्मा ने कहा कि अभी तक जनजागरूकता के कार्यक्रम होते थे। अब धरातल पर कार्य किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि बागेश्वर जिले में जिला जज रह चुका हूं। यहां के 408 ग्राम सभाओं से अच्छी तरह वाकिफ हूं।

LEGAL AID INFORMATION SYSTEM (LAIS) PORTAL:

A Web Based Application (open source) namely **LEGAL AID INFORMATION SYSTEM (LAIS)** was developed to access services of legal aid and to monitor the activities, being carried out through legal aid easily and efficiently. The said ambitious web application aims to provide free legal aid to the needy people and other concerned stakeholders. Since the application was developed for State Legal Services Authority and the development and technical aspects are being handled by the Hon'ble High Court.

District wise pendency of the cases and other Data in the Online Portal (https://uklegalaidservices.uk.gov.in/) which is available for Panel Lawyers, PLVs for every needy/common mass is as under:

YOUTUBE CHANNEL OF UTTARAKHAND SLSA:

In order to share best practices of Uttarakhand SLSA and the Legal Services Institutions of the State with other Legal Services Institutions in the country, a Youtube Channel has been created by the Uttarakhand SLSA in the year 2020. In the said youtube channel the documentaries as developed by the Uttarakhand SLSA & NALSA including other legal aid activities/programmes videos have been uploaded time to time. Live streaming of the programme has been telecasted as and when required. Please visit the youtube channel of

Uttarakhand SLSA, Nainital, link of the channel is as under:https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ

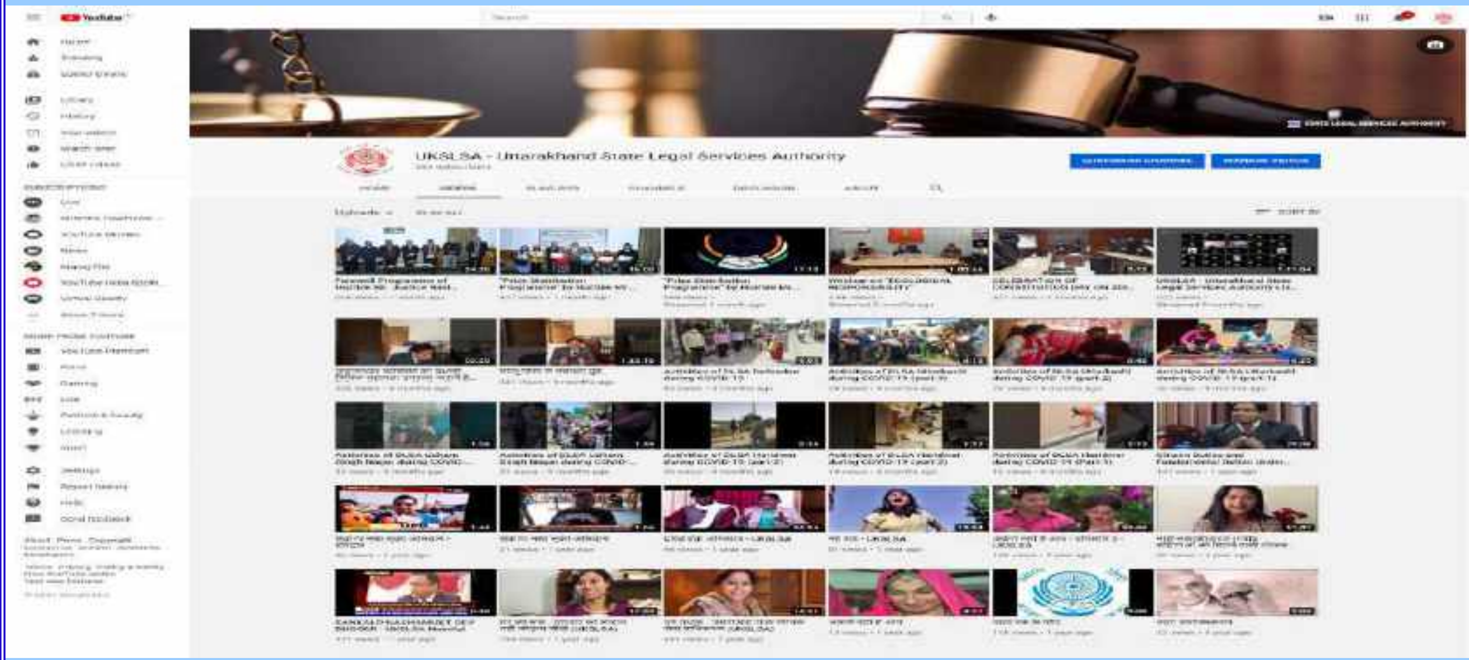

FACEBOOK PAGE OF UTTARAKHAND SLSA, NAINITAL:

Facebook Page of Uttarakhand SLSA has been created for uploading/sharing best practices conducted by the Legal Services Institutions and Legal Awareness Programmes. Link of the facebook page is: https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa

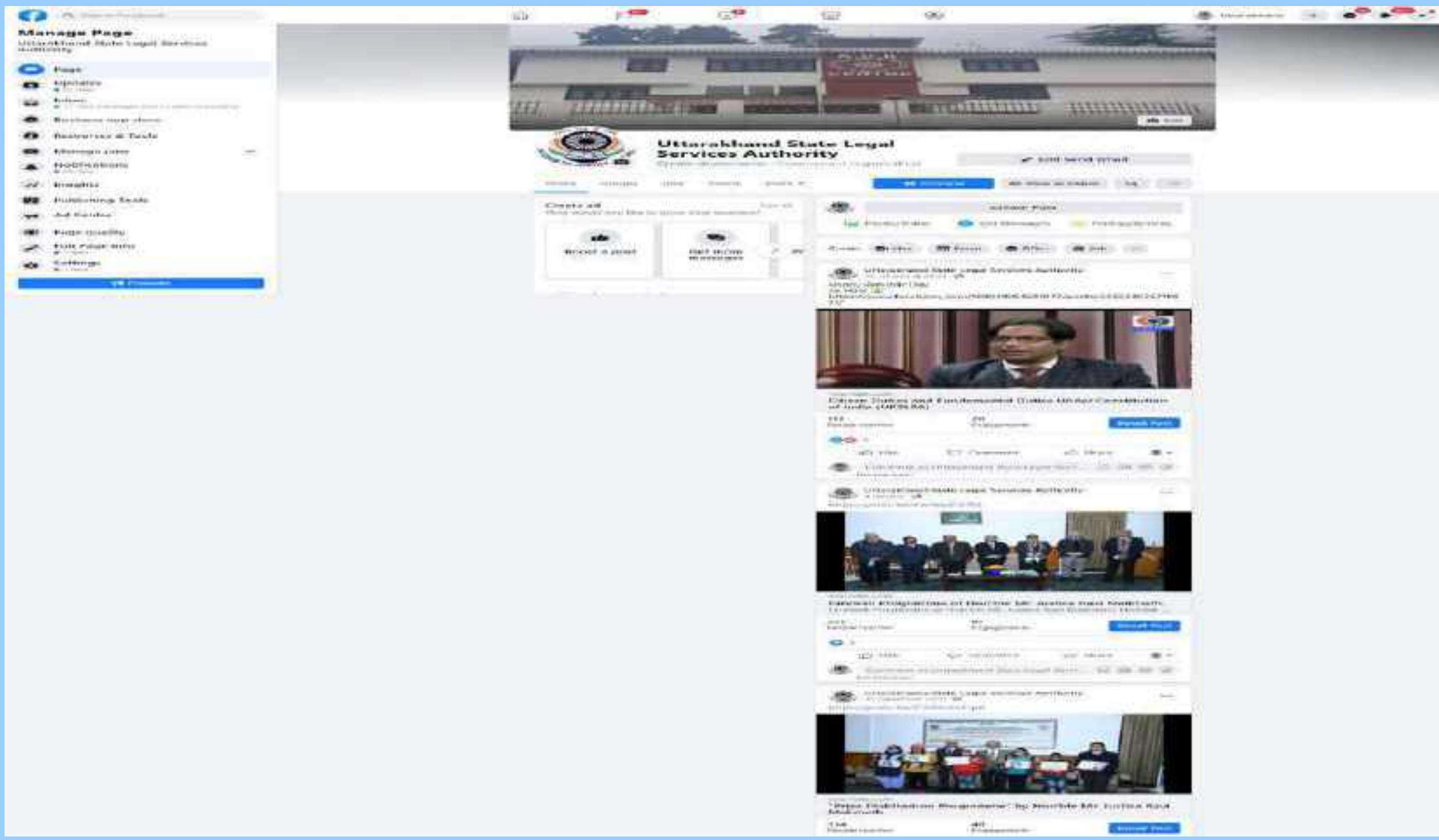

RELEASE OF PRISONERS AND LEGAL AID DURING LOCKDOWN DUE TO COVID-19 PANDEMIC:

In compliance of the order dated 23.03.2020 passed by Hon'ble Supreme Court in **Suo Moto Writ Petition (C) No. 1/2020, In Re: Contagion of COVID-19 Virus in Prisons**, a High Powered Committee was constituted to determine the class of prisoners who can be released on parole or on interim bail for such period as may be thought appropriate. An online meeting of Hon'ble High Powered Committee was held on 09.07.2020. The said meeting was chaired by the Hon'ble Mr. Justice Ravi Malimath, Hon'ble Executive Chairman of Uttarakhand State Legal Services Authority. On the basis of the recommendations issued by the Hon'ble High Powered Committee, a total number of **105** prisoners (**94** under-trials and **11** convicts) have been released from different jails of Uttarakhand on interim bail or parole.

Beside this, a video conference session was also held on 05.07.2020 wherein all the DLSAs were directed to take all necessary steps so as to provide help in the form of food, shelter, health check-up, sanitization etc. to the needy persons. Consequently, the necessary legal aid and assistance provided by the Legal Services Institutions to the needy people during the lockdown is hereunder:

RELEASE OF PRISONERS AND LEGAL AID DURING LOCKDOWN DUE TO COVID-19 PANDEMIC:-

DATA IN TABULAR FORM (JULY-2020 TO DECEMBER-2020)

District	Domestic Violence Act		Tenancy Disputes		Wages Disputes		Food	Shelter	Travelling to home	Prisoners Released		Children	Legal aid through remand advocate	Total
	Reported Cases	Service Provided	Reported Cases	Service Provided	Reported Cases	Service Provided				UTPs	Convicts			
Almora	10	10	-	-	-	-	478	-	20	1	-	12	6	527
Bageshwar	7	7	-	-	-	-	131	-	65	-	-	-	1	204
Chamoli	4	4	-	-	-	-	0	-	-	3	-	2	8	17
Champawat	2	2	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	2
Dehradun	40	28	20	19	3	3	3	3	-	88	11	-	-	168
Haridwar	3	1	-	-	-	-	1200	-	-	-	-	-	22	1225
Nainital	23	23	-	5	2	2	183	12	29	-	-	-	62	317
Pauri Garhwal	30	30	-	-	-	-	7	-	-	1	-	-	12	50
Pithoragarh	2	2	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	25	47
Rudraprayag	1	1	-	-	-	-	80	-	-	1	-	-	-	82
Tehri Garhwal	3	3	1	1	-	-	77	1	-	-	-	-	10	92
U S Nagar	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	20
Uttarkashi	6	6	-	-	-	-	70	-	-	-	-	-	4	80
Total	136	121	27	25	5	5	2239	16	124	94	11	14	165	2831

INSPECTION OF QUARANTINE CENTERS BY SECRETARIES, DLSAs:

Hon'ble High Court of Uttarakhand vide order dated 28.05.2020 passed in Writ Petition No. 58/2020, Sachidanand Dabral Vs. Union of Indian & Others, directed the Secretary, DLSA, Nainital, Udham Singh Nagar, Haridwar and Dehradun to inspect the Quarantine Centers from outside and make appropriate enquiries with regard to the conditions of these Quarantine Centers. Accordingly, Secretaries of the aforesaid DLSAs conducted inspection of the Quarantine Centers and submitted their reports to the Hon'ble High Court.

SUCCESS STORIES

(DLSA - DEHRADUN)

डिक्सन कम्पनी, सेलाकुई, देहरादून में बाल श्रम करवा रहे एवं आधार कार्ड मे उम्र बढ़ा कर श्रम करवाने पर फैक्ट्री प्रबंधन व पॉच ठेकेदारों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया

- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव द्वारा माह नवम्बर, 2020 में कोरोना महामारी के चलते सेलाकुई क्षेत्र में स्थित कम्पनियों में औचक निरीक्षण किया गया।
- निरीक्षण के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादनू को संदेह हुआ कि वहॉ पर कार्य कर रही बालिकाओं की उम्र 18 साल से कम लग रही थी एवं वह सभी बालिकायें शिक्षित भी नहीं थीं।
- इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि उन बालिकाओं में से अधिकतम बालिकाओं के हाथों की उंगलियों में बैण्डेज लगायी हुयी थीं जोकि अत्यंत चिंताजनक बात थीं।
- निरीक्षण में सचिव द्वारा बाल श्रम को रंगें हाथ पकड़ा गया। वहॉ पर 94 किशोर–किशोरियों (अधिकतर किशोरियॉ) को काम करते हुए पाया गया।
- यह भी पाया गया कि तमाम बच्चों को शौचालय में बंद कर दिया गया था एवं वेंटीलेशन समेत दूसरी बुनियादी आवश्कताओं की स्थिति बहुत खराब थीं। ज्यादातर बच्चें बालिग से कम उम्र के लग रहें थें।
- तत्पश्चात् प्राधिकरण की सचिव इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि औद्योगिक क्षेत्र में कोविड–19 के प्रति सर्तकता नहीं बरती जा रही थी।
- यह भी पाया गया कि फैक्ट्री में 4000 श्रमिकों के लिये सिफ 03 शौचालय ही बनाये गये थी।
- इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि सेनिटर व सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा थी।
- यह भी पाया गया कि वहॉ पर तमाम तरह की अनियमितताएं पायी गयी थीं। इस बात का संदेह भी जताया जा रहा था कि उन किशोर–किशोरियों के आधार कार्ड भी फर्जी लग रहें थें।
- मामलें को सर्वोच्चता पर लेते हुए सचिव द्वारा उक्त के सम्बंध में कार्यवाही की गयी।
- कार्यवाही के दौरान माह दिसम्बर, 2020 में सचिव द्वारा उन सभी 94 बालिकाओं को चिन्हित कर उनके आधार कार्ड और सर्टिफिकेट की जांच की गयी एवं जांच हेतु आवश्यक दस्तावेंज कब्जे में ले लिये गये।
- जांच के दौरान पाया गया कि कुछ ठेकेदारों द्वारा उन किशोरियों के फर्जी कार्ड बनाकर उनकी उम्र को अधिक दर्शाया जा रहा था एवं उनसे 12–12 घण्टे अवैध रूप से कार्य कराया जा रहा था एवं अवैध रूप से बाल श्रम कराया जाना पाया गया।
- तत्पश्चात् उपरोक्त प्रकरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव द्वारा जांच के आधार पर थाना बसंत विहार जनपद देहरादून की लिखित तहरीर के आधार पर डिक्सन कम्पनी प्रबंधन एवं 05 एजेंट ठेकेदारों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी।

विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने 25 नवंबर को मारा था कंपनी पर छापा

बालश्रम मामले में कंपनी प्रबंधन और पांच लेबर कॉन्ट्रेक्टर पर केस

हिन्दुस्तान फॉलोअप

सेलाकुई | कार्यालय संवाददाता

औद्योगिक क्षेत्र सेलाकुई की डिक्सन कंपनी में बालश्रम के मामले में पुलिस ने कंपनी प्रबंधन व पांच ठेकेदारों सहित छह लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।

25 नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और सिविल जज नेहा कुशवाहा ने विभिन्न संगठनों पैरालीगल स्वयं सेवक शमीना, नाजमा, मैक संस्था के जहांगीर आलम, बचपन बचाओ आंदोलन के सुरेश उनियाल, चाइल्ड लाइन के जसबीर रावत व जिला टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ सेलाकुई स्थित डिक्सन कंपनी में छापेमारी की। इस दौरान कंपनी में 94 नाबालिग बाल श्रम करते हुए मिले थे। आरोप था कि कंपनी ने कुछ बाल श्रमिकों को कंपनी की कैंटीन व टॉयलेट में छिपा दिया था।

सचिव की छापेमारी के बाद इस मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी 26 नवंबर को कंपनी में छापेमारी कर जांच की। इसके बाद बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने इस मामले में डीआईजी देहरादून को पत्र लिखकर मामले की जांच पुलिस से करवाने के निर्देश दिए थे।

इस मामले में सहायक परियोजना अधिकारी बचपन बचाओ आंदोलन संदीप पंत निवासी इंदिरानगर थाना वसंत विहार देहरादून की तहरीर पर सेलाकुई थाना पुलिस ने डिक्सन कंपनी प्रबंधन, लेबर कांट्रेक्टर रंजीत सिंह, एजेंट ठेकेदार प्रीतम सिंह, राजीव सिंघानिया, रेहान व संदीप के खिलाफ बाल श्रम एक्ट, किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। थानाध्यक्ष सेलाकुई ऋतुराज सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। कहा कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जायेगा।

कई बाल श्रमिकों की जन्म तिथि एक जनवरी

बाल श्रमिकों की जब विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने आधार कार्डों की जांच करवाई तब पतीस ऐसे बाल श्रमिक मिले जिनकी जन्म तिथि एक जनवरी थी। जिससे फर्जी आधार कार्ड होने की आशंका पक्की हो गयी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम ने जब जांच शुरू की तब आधार कार्डों के नंबर इंटरनेट पर डाले गये। जिनका नेट पर मिलान नहीं हो पाया। जिससे फर्जी आधार कार्ड होने की पुष्टि हो गयी। बाल आयोग की टीम ने कुछ बाल श्रमिकों के घर जाकर उनके बयान दर्ज कराये। जिससे पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ।

अन्य कंपनियों ने हटाये बाल श्रमिक

बाल श्रमिकों को लेकर डिक्सन कंपनी में की गयी छापेमारी के बाद सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनियों में हड़कंप मच गया। कई कंपनियों ने छापेमारी के दौरान अपनी कंपनियों में छुट्टी कर सभी श्रमिकों को घर भेज दिया। इसके बाद कंपनियों ने बाल श्रमिकों की छंटनी शुरू की। सूत्रों के अनुसार अब तक एक हजार से अधिक बाल श्रमिकों को कंपनियों ने नौकरी से निकाल दिया।

कंपनी में मिली थी कई अनियमिततायें

कंपनी के बाहर गंदगी के ढेर मिले। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं मिले। बाल आयोग की टीम की जांच में महिला यौन शोषण को लेकर कंपनी में कमेटी गठित मिली, लेकिन कमेटी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक सीमित है। कंपनी में कार्यरत महिलाओं को जागरूक करने, उनके अधिकारों की जानकारी देने वाली कमेटी की बैठक महज कागजों में ही उपस्थिति दर्ज पायी गयी। धरातल पर कुछ भी कार्य नहीं मिला। बाल श्रमिकों से कंपनी में आठ घंटे की निर्धारित अवधि में काम करवाने के बजाय बारह घंटे तक काम करवाना पाया गया। जिसका अतिरिक्त वेतन अर्थात ओवर टाइम के पैसे देने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

...लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में नए सिरे से जांच शुरू कर दी है।

25 नवंबर को विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव और सिविल जज नेहा कुशवाहा ने विभिन्न संगठनों पैरालीगल स्वयं सेवक शमीना, नाजमा, मैक संस्था के जहांगीर आलम, बचपन बचाओ आंदोलन के सुरेश उनियाल, चाइल्ड लाइन के जसबीर रावत व जिला टास्क फोर्स के सदस्यों के साथ सेलाकुई स्थित डिक्सन कंपनी में छापेमारी की। इस दौरान कंपनी में 94 नाबालिग बाल श्रम करते हुए मिले थे। आरोप था कि कंपनी ने कुछ बाल श्रमिकों को कंपनी की कैंटीन व टॉयलेट में छिपा दिया था।

अन्य कंपनियों ने हटाये बाल श्रमिक

बाल श्रमिकों को लेकर डिक्सन कंपनी में की गयी छापेमारी के बाद सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र स्थित कंपनियों में हड़कंप मच गया। कई कंपनियों ने छापेमारी के दौरान अपनी कंपनियों में छुट्टी कर सभी श्रमिकों को घर भेज दिया। इसके बाद कंपनियों ने बाल श्रमिकों की छंटनी शुरू की। सूत्रों के अनुसार अब तक एक हजार से अधिक बाल श्रमिकों को कंपनियों ने नौकरी से निकाल दिया।

...जागरूक करने, उनके अधिकारों की जानकारी देने वाली कमेटी की बैठक महज कागजों में ही उपस्थिति दर्ज पायी गयी। धरातल पर कुछ भी कार्य नहीं मिला। बाल श्रमिकों से कंपनी में आठ घंटे की निर्धारित अवधि में काम करवाने के बजाय बारह घंटे तक काम करवाना पाया गया। जिसका अतिरिक्त वेतन अर्थात ओवर टाइम के पैसे देने का कोई प्रमाण नहीं मिला।

सचिव की छापेमारी के बाद इस मामले में बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी 26 नवंबर को कंपनी में छापेमारी कर जांच की। इसके बाद बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने इस मामले में डीआईजी देहरादून को पत्र लिखकर मामले की जांच पुलिस से करवाने के निर्देश दिए थे।

इस मामले में सहायक परियोजना अधिकारी बचपन बचाओ आंदोलन संदीप पंत निवासी इंदिरानगर थाना वसंत विहार देहरादून की तहरीर पर सेलाकुई थाना पुलिस ने डिक्सन कंपनी प्रबंधन, लेबर कांट्रेक्टर रंजीत सिंह, एजेंट ठेकेदार प्रीतम सिंह, राजीव सिंघानिया, रेहान व संदीप के खिलाफ बाल श्रम एक्ट, किशोर न्याय संरक्षण अधिनियम, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, धोखाधड़ी सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। थानाध्यक्ष सेलाकुई ऋतुराज सिंह ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। कहा कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार की जायेगी।

बाल श्रम पर कंपनी प्रबंधन और एजेंटों पर केस

डिक्सन कंपनी प्रबंधन और पांच एजेंटों के खिलाफ केस किया गया दर्ज

अधिक उम्र से कंपनी में कराते थे बाल श्रम

dehradun@inext.co.in

DEHRADUN (9 Dec): विकासनगर थाना सेलाकुई में बाल श्रम कराने पर डिक्सन कंपनी प्रबंधन व पांच एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी एजेंटों ने आधार कार्ड में फर्जी तरीके से उम्र बढ़ा कर नाबालिग लड़के व लड़कियों को फैक्ट्री में रखवाया था. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव नेहा कुशवाहा की ओर से किए गए निरीक्षण में कंपनी में बाल श्रम का मामला मिला था. इसमें बाल आयोग की अध्यक्ष ऊषा नेगी ने भी जांच में बाल श्रम की पुष्टि की थी. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने शुरू की जांच

25 नवंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज सीनियर डिवीजन नेहा कुशवाहा के नेतृत्व में पैरा लीगल स्वयंसेवक शमीना, नाजमा, मैक संस्था के जहांगीर आलम, बचपन बचाओ आंदोलन के सुरेश उनियाल, चाइल्ड लाइन के जसबीर रावत व जिला टास्क फोर्स के सदस्यों ने सेलाकुई स्थित डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में औचक निरीक्षण किया था. निरीक्षण में 94 नाबालिग बालिकाओं को चिन्हित कर उनके आधार कार्ड और सर्टिफिकेट की जांच की गई. तब से हैरानी को देखते हुए टीम ने आवश्यक दस्तावेज कब्जे में लिए थे. बाल आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लेकर जांच कर बाल श्रम की पुष्टि की थी. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जांच के आधार पर सहायक परियोजना अधिकारी बचपन बचाओ आंदोलन संदीप पंत निवासी इंदिरा नगर थाना बसंत विहार देहरादून की लिखित तहरीर पर पुलिस ने कंपनी प्रबंधन व पांच एजेंट ठेकेदारों रंजीत, प्रीतम, सिंघानिया, रेहान, संदीप के खिलाफ सेलाकुई थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया. एजेंट ठेकेदारों ने 94 बालिकाओं के आधार कार्ड फर्जी बनाकर उम्र को ज्यादा दर्शा कर कंपनी में बाल श्रम कराया जाता था.

नाबालिग लड़कियों के नाम से बने फर्जी आधार कार्ड करवाया जा रहा बालश्रम

देहरादून, 9 दिसम्बर (स.ह.) : सेलाकुई इंडस्ट्रीयल एरिया में बालश्रम का कितना बड़ा खेल चल रहा है इस बात का खुलासा कुछ समय पहले होने पर पंजाब केसरी ने प्राथमिकता के साथ खबर छापी थी। उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बाद प्राथमिक जांच में साफ हुआ कि नाबालिग बच्चों के फर्जी आधार कार्ड बनवाये गए। नाबालिगों से श्रम करवाने के लिए उनकी उम्र 18 साल व ज्यादा दर्शा दी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर सेलाकुई थाने में डिक्सन कंपनी के प्रबंधक सहित पांच एजेन्ट (ठेकेदारों) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

सेलाकुई पुलिस के मुताबिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निरीक्षण सचिव नेहा कुशवाहा सिविल जज सीनियर डिवीजन के नेतृत्व में पैरा लीगल स्वंय सेवक शमीना, नाजमा व मैक संस्था के जहांगीर आलम के साथ निरीक्षण किया था। इनके साथ बचपन बचाओ आंदोलन से सुरेश उनियाल और जसबीर रावत चाईल्ड लाईन व जिला टास्क फोर्स के सदस्य शामिल थे। टीम ने सेलाकुई स्थित डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में

ज्यादा उम्र दर्शाकर बनवाए फर्जी आधार कार्ड

औचक निरीक्षण किया। इस दौरान जो नजारा देखा वह चौकाने वाला था। निरीक्षण में कुल 94 बालिकाओं को चिन्हित कर उनके आधार कार्ड और सर्टिफिकेट की जांच की गई। जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज कब्जे में ले गए। प्राथमिक जांच में पाया गया कि, डिक्सन कंपनी प्रबंधन के अलावा एजेंट व ठेकेदार रंजीत, प्रीतम, सिंघानिया ,रेहान ,संदीप ने कुल 94 नाबालिग लड़कियों के आधार कार्ड फर्जी बनाए उसमें उम्र को ज्यादा दर्शा कर कंपनी में 12 -12 घंटे अवैध रूप से बाल श्रम कराया गया। इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जांच के आधार पर संदीप पंत (सहायक परियोजना अधिकारी) बचपन बचाओ आंदोलन निवासी इंदिरा नगर थाना बसंत विहार की लिखित तहरीर के आधार पर डिक्सन कंपनी प्रबंधन एवं पांच उपरोक्त एजेंट ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।

मौसम 27.2° 10.5°

विकासनगर जागरण

बाल श्रम मामले में कंपनी प्रबंधन व एजेंटों के विरुद्ध मुकदमा

आधार कार्ड में ... एजेंटों ने बाल श्रमिकों को दिलाया था फैक्ट्री में काम

हाथ पकड़ कर महिला को गाड़ी में बैठाने का प्रयास, मुकदमा

नाबालिग लड़कियों से बालश्रम करवाने वाला बड़ा गिरोह एक्टिव!

सवाल 94 नाबालिग लड़कियों का नहीं बल्कि लाखों बच्चों के भविष्य का है

फैक्ट्री में नारकीय हालात में काम करते मिले 94 नाबालिग

7888-97760

SUCCESS STORIES

(DLSA - DEHRADUN)

मकान–मालिक एवं किरायेदार के मध्य हुए झगडें को सुलझाया गया

- सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून को एक व्यक्ति आशीष निवासी, पित्थूवाला खुर्द, मोहब्बेवाला, देहरादून द्वारा एक शिकायत पत्र प्रेषित किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि उनके व उनकी माता के साथ उनके मकान–मालिक द्वारा मानसिक प्रताड़ना की जा रही थीं।
- तत्पश्चात् सचिव द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के पराविधिक कार्यकर्ता एवं नामिका अधिवक्ता की टीम गठित कर उक्त मामले की जांच हेतु कहा गया।
- टीम द्वारा दोनों पक्षों से वार्ता के उपरांत यह पाया गया कि प्रार्थी की बहन एवं जीजा जो आशीष द्वारा दिलवाये गये किराये के मकान में निवास कर रहे थें जिसका किराया रू0 6000/– मासिक था।
- यह भी पाया गया कि लॉकडाउन के अन्तर्गत प्रार्थी की बहन एवं जीजा अपने गांव चले गये थें एवं रू0 6 माह का किराया जोकि रू0 8000/– रू0 हो गया था का भुगतान करने में आना–कानी करने लगें।
- तत्पश्चात् टीम द्वारा दोनों पक्षों के मध्य काउंसलिंग किये जाने का निर्णय लिया गया।
- काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों को समझाने के उपरांत एक समझौतानामा तैयार किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि रू0 15000/– 03 माह के अन्दर प्रार्थी की बहन द्वारा दिये जायेंगे
- परन्तु जब मकान–मालिक द्वारा 03 माह बाद किराया मांगा गया तो फिर दोनों पक्षों के मध्य विवाद शुरू हो गया।
- तत्पश्चात् इस सम्बंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दोनों पक्षों के मध्य पुनः काउंसलिंग की गयी।
- काउंसलिंग के दौरान गठित टीम द्वारा समझाने पर यह तय किया गया कि जितना भी बकाया रूका हुआ किराया होगा वह हर माह किरायेदार द्वारा अदा किया जायेगा एवं किराये की कुल राशि रू0 15000/– में से रू0 6500/– दिये गये। शेष राशि 8500/– रू0 माह अगस्त, 2021 तक किरायेदार द्वारा चुका दिया जायेगा जोकि हर की किस्त 1000/– रू0 होगी।

SUCCESS STORIES
(DLSA - RUDRAPRAYAG)

दिनांक 16.10.2020 को प्रार्थिनी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी के पति द्वारा प्रार्थिनी को बिना सूचित किये एवं तलाक लिये बिना दूसरी शादी की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्रार्थिनी के कथन पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रूद्रप्रयाग में कार्यरत पी0एल0वी0 श्रीमती अंजना नौटियाल द्वारा थाना गुप्तकाशी, जनपद रूद्रप्रयाग में प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत किया गया, जिस पर थाना गुप्तकाशी द्वारा त्वरित कार्यवाही की गयी एवं पी0एल0वी0 अंजना नौटियाल के प्रयास से प्रार्थिनी के पति की दूसरी शादी होने से रूक गयी।

SUCCESS STORIES
(DLSA - UTTARKASHI)

An elder widow lady victim Namely Smt. Lalli Devi age about 84 years resident of Village Fold, Tehsil Dunda, District Uttarkashi came to PLV Deepak Kumar on 11-11-2020 at around 12:44 P.M along with her Son-in-Law Mr. Shiv Sharan Bhatt. The old victim and her son-in-Law told that someone of their village Mr. Murari Lal Bhatt wants to divest their property and is willing to evict them from their own revenue recorded property by illegally occupying on it. They told aforesaid PLV that they have given several applications to the District administration to take action against Murari lal but no action has been taken but the regional Patwari/RSI is creating severally problems in the sole and independent house construction work of the lady victim. Aggrieved by the continue threats from one Murari Lal and regional RSI, She requested to have free and competent legal aid.

In this regard, the aforesaid PLV had taken necessary guidelines from the office DLSA Uttarkashi, in compliance of which and the instructions passed by the DLSA office to PLV, PLV Deepak Rana prepared a complaint to the Sub Divisional Magistrate, Dunda region and requested on behalf of lady aid seeker to take tough and necessary legal action against the reported person as well as regional PATWARI, who were not looking in to the matter in spite of repeated applications to him. In compliance of after being this complaint submitted to the SDM it was sent immediately for spot verification and investigation of the matter. After disposal of the investigation the old widow lady happily thanked to DLSA Uttarkashi for it's competent and free legal aid to her and now is happily living at her home.

Thus according to above tale of victim, the DLSA Uttarkashi helped the lady victim as a free and competent legal aid system and made a compliance of the policy ACCESS TO JUSTICE FOR ALL.

SUCCESS STORIES
(DLSA - BAGESHWAR)

1. Two matter related to Domestic Violence were informed to PLV Smt Shashti Kandpal between (1) Smt Pushpa Devi and her husband Sh. Rajender Singh Rawat, resident of village Nagharsahu, Ghinghartola and (2) Smt Sunita pandey and her husband sh. Prakash Pandey, resident of village Jaulgaon, Ghinghartola District Bageshwar. PLV Shashti Kandapl resolved both the matter by counselling and mutual settlement.

2. Differently Abled person Bablu in village Simkuna of Nyaypanchayat Khatigaon whose parents had died and he himself was 60% disabled, but Differently Abled Certificate was not issued to him and so he was not able to apply for pension. On coming to know about the same PLV Sh. Pankaj Daseela informed the concerned authorities about the same and helped Bablu in filling all relevant document and Bablu received Rs. 1200/- from Government on 08th September 2020.

3. Sh. Rajender Kumar whose wife had died during delivery was unable to obtain his wife's death certificate, on coming to know about the same PLV Sh. Pankaj Daseela helped him in completing all the formalities and Sh. Rajender Kumar received his wife's death certificate on 30th September 2020.

NOTIFICATION OF WOMEN VICTIM COMPENSATION SCHEME:

Vide notification No. 532/XX-3-2019-05(09)2011 Dehradun dated 08 September, 2020, the Government of Uttarakhand has notified the **Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/Other Crimes, 2020** was notified.

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. /Dated: for general information.

Government of Uttarakhand
Home Section-03
No. 532 /XX-3-2019-05(09)2011
Dehradun: Dated08September, 2020

NOTIFICATION

Whereas, Uttarakhand Victim From Crime Assistance Scheme, 2013 (as amended, 2014 and 2016) is to be amended in the light of judgement Dated 11-05-2018 of Hon'ble Supreme Court in Writ Petition Civil No.-565/2012 Nipun Saxena and others Vs Union of India;

And Whereas, "Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/Other Crimes, 2018" prepared by National Legal Services Authority and approved by Hon'ble Supreme Court of India, is requird to be implemented in State of Uttarakhand;

And Whereas, the Scheme is proposed to be implemented as chapter of part-II of the Uttarakhand Victim From Crime Assistance Scheme, 2013 (as amended, 2014 and 2016);

Now, therefore In exercise of the powers conferred by Section 357 A of the Code of Criminal Procedure, 1973 the Governor of Uttarakhand State (Uttarakhand Victim from Crime Assistance Scheme, 2013 (as amended, 2014 and 2016)) hereby pleased to allow to add the following chapters for providing funds for the purpose of Compensation and rehabilitation required to the victims or their dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and to determine the amount of compensation:-

Part-II

The chapter contained in this part shall be called the Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/Other Crimes, 2020.

Short title, Extent and commencement

1. (1) This chapter may be called the Uttarakhand Compensation Scheme for Women Victims/Survivors of Sexual Assault/other Crimes, 2020.
   (2) It shall deem to have come into force from 02 October, 2018.
   (3) It shall apply to the victims and their dependent(s) in Uttarakhand State, who have suffered loss or injury, as the case may be, as a result of the offence committed and who require rehabilitation.

Definitions

2. (1) In this Scheme, unless the context or Subject otherwise requires:—
   (a) **"Code"** means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974,;

Page 1 of 12

(b)**'Dependent'** includes husband, father, mother, grandparents, unmarried daughter and minor children of the victim as determined by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority on the basis of the report of the Sub- Divisional Magistrate of the concerned area/Station House Officer/Investigating Officer or on the basis of material placed on record by the dependents by way of affidavit or on its own enquiry;

(c) **"District Legal Services Authority"** means the District Legal Services Authority (DLSA)constituted under section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987(Act 39 of 1987) for a District of the Uttrakhand State;

(d) **'Form'** means form appended to the Scheme as applicable to this Chapter;

(e) **'Fund'** means State fund i.e. victim compensation fund constituted under the State Victim Compensation Scheme;

(f) **'Central Fund'** means funds received from CVCF Scheme, 2015;

(g) **'Women Victim Compensation Fund'** – means a fund segregated for disbursement for women victim, out of State Victim Compensation Fund and Central Fund. [Within the State Victim Compensation Fund, a separate Bank Account shall be maintained as a portion of that larger fund which shall contain the funds contributed under CVCF Scheme by MHA, GOI contributed from Nirbhaya Fund apart from funds received from the State Victim Compensation Fund which shall be utilised only for victims covered under this chapter];

(h) **'Government'** means 'State Government' wherever the State Victim Compensation Scheme or the State Victim Compensation Fund is in context and 'Central Government' wherever Central Government Victim Compensation Fund Scheme is in context;

(i) **'Injury'** means any harm caused to body or mind of a female;

(j) **'Minor'** means a girl child who has not completed the age of 18

years;

(k) **'Offence'** means offence committed against women punishable under IPC or any other law;

(l) **'Penal Code'** means Indian Penal Code, 1860 (Act 45 of 1860);

(m) **'Schedule'** means schedule appended to this Scheme/Part of the scheme;

(n) **"State Legal Services Authority"** means the State Legal Services Authority (SLSA), as defined in Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (Act 39 of 1987);

(o) **"Sexual Assault Victims"** means female who has suffered mental or physical injury or both as a result of sexual offence including Sections 376 (A) to (E), Section 354 (A) to (D), Section 509 IPC;

(p) **'Woman Victim/survivor of other crime'** means a woman who has suffered physical or mental injury as a result of any offence mentioned in the attached Schedule including Sections 304 B, Section 326A, Section 498A IPC (in case of physical injury of the nature specified in the schedule) including the attempts and abetment;

(2) Words and expressions used in this Scheme and not defined here, shall have the same meaning as assigned to them in the Code of Criminal Procedure, 1973 or/and in the Indian Penal Code, 1860;

Women Victims Compensation Fund— 3. (1) There shall be a Fund, namely, the Women Victims Compensation Fund from which the amount of compensation, as decided by the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority shall be paid to the women victim or her dependent(s) who have suffered loss or injury as a result of an offence and who require rehabilitation.

(2) The 'Women Victims Compensation Fund' shall comprise the following:-

(a) Contribution received from Central Fund;

(b) Budgetary allocation in form of Grants-in-aid to SLSA for which

necessary provision shall be made in the Annual Budget by the Government;

(c)Any cost amount ordered by Civil/Criminal Tribunal to be deposited in this Fund.

(d)Amount of compensation recovered from the wrong doer/accused under Para 13 of the Scheme;

(e)Donations/contributions from International/ National/ Philanthropist/Charitable Institutions/ Organizations and individuals permitted by State or Central Government.

(f) Contributions from companies under CSR (Corporate Social Responsibility)

(3) The said Fund shall be operated by the State Legal Services Authority (SLSA).

Eligibility for Compensation

4. A woman victim or her dependent (s) as the case may be, shall be eligible for grant of compensation from multiple schemes applicable to her. Provided, the compensation received by her in the other schemes with regard to Section 357-B Cr.P.C., shall be taken into account while deciding the quantum in the such subsequent application.

Procedure for making application before the SLSA or DLSA

5. **Mandatory Reporting of FIRs-** SSP/SP/CO/SHO shall mandatorily share soft/hard copy of FIR immediately after its registration with State Legal Services Authority/District Legal Services Authority qua commission of offences covered in this Scheme which include Sections 326A, 354A to 354D, 376A to 376E, 304B, 498A (in case of physical injury covered in the Schedule), so that the SLSA/DLSA can, in deserving cases, may suo-moto initiate preliminary verification of facts for the purpose of grant of interim compensation. An application for the award of interim/final compensation can be filed by the Victim and/or her Dependents or the SHO of the area before concerned SLSA or DLSA. It shall be submitted in Form 'I' along with a copy of the First Information Report (FIR) or criminal complaint of which cognizance is taken by the Court and if available Medical Report, Death Certificate,

wherever applicable, copy of judgment/ recommendation of court if the trial is over.

Place of filing of Application

6. The application/recommendation for compensation can be moved either before the State Legal Services Authority or the concerned District Legal Services Authority or it can be filed online on a portal which shall be created by all State Legal Services Authorities. The Secretary of the respective DLSA shall decide the application/ recommendation moved before him/her as per the Scheme.

Explanation: In case of acid attack victim the deciding authority shall be Criminal Injury Compensation Board as directed by Hon'ble Supreme Court in Laxmi vs. Union of India W.P.CRML 129/2006 order dated 10.04.2015 which includes Ld. District & Sessions Judge, DM, SP, Civil Surgeon/CMO of the district.

Reliefs that may be awarded by the SLSA or DLSA

7. The SLSA or DLSA may award compensation to the victim or her dependents to the extent as specified in the scheduled attached hereto.

Factors to be while deciding award compensation considerd

8. While deciding a matter, the State Legal Services Authority/District Legal Services Authority may take into consideration the following factors relating to the loss or injury suffered by the victim:

(1) Gravity of the offence and severity of mental or physical harm or injury suffered by the victim;

(2) Expenditure incurred or likely to be incurred on the medical treatment for physical and/or mental health including counselling of the victim, funeral, travelling during investigation/ inquiry/ trial (other than diet money);

(3) Loss of educational opportunity as a consequence of the offence, including absence from school/college due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any other reason;

(4) Loss of employment as a result of the offence, including absence from place of employment due to mental trauma, bodily injury, medical treatment, investigation and trial of the offence, or any

other reason;

(5) The relationship of the victim to the offender, if any;

(6) Whether the abuse was a single isolated incidence or whether the abuse took place over a period of time;

(7) Whether victim became pregnant as a result of the offence, whether she had to undergo Medical Termination of Pregnancy (MTP)/ give birth to a child, including rehabilitation needs of such child;

(8) Whether the victim contracted a sexually transmitted disease (STD) as a result of the offence;

(9) Whether the victim contracted human immunodeficiency virus (HIV) as a result of the offence;

(10) Any disability suffered by the victim as a result of the offence;

(11) Financial condition of the victim against whom the offence has been committed so as to determine her need for rehabilitation and re-integration needs of the victim;

(12) In case of death, the age of deceased, determination of her monthly income, number of dependents, life expectancy, future promotional/growth prospects etc;

(13) Any other factor which the SLSA/DLSA may consider just and sufficient.

Procedure for Grant of Compensation

9. (1) Wherever, a recommendation is made by the court for compensation under sub-sections (2) and (3) of Section 357A of the Code, or an application is made by any victim or her dependent(s), under sub-section (4) of Section 357A of the Code, to the State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, for interim compensation it shall primafacie satisfy itself qua compensation needs and identity of the victim. As regards the final compensation, it shall examine the case and verify the contents of the claim with respect to the loss/injury and rehabilitation needs as a result of the crime and may also call for any other relevant information necessary for deciding the claim;

Provided that in deserving cases and in all acid attack cases, at any time after commission of the offence, Secretary, SLSA or

Secretary, DLSA may suo moto or after preliminary verification of the facts proceed to grant interim relief as may be required in the circumstances of each case.

(2) The inquiry as contemplated under sub-section (5) of Section 357A of the Code, shall be completed expeditiously and the period in no case shall exceed beyond sixty days from the receipt of the claim/petition or recommendation, Provided that in cases of acid attack an amount of Rs. 01 lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by DLSA within 7 days of the matter being brought to its notice and the SLSA shall pay the compensation within 8 days of passing of the order. Thereafter, an amount of Rs. 2 lakhs shall be paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months of the first payment* Provided further that the victim may also be paid such further amount as is admissible under this Scheme.

(3) After consideration of the matter, the SLSA or DLSA, as the case may be, upon its satisfaction, shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or her dependent(s) taking into account the factors enumerated in para 8 of the Scheme, as per schedule appended to this Scheme. Provided, in deserving cases, for reasons to be recorded, the upper limit may be exceeded. Moreover, in case the victim is minor, the limit of compensation shall be deemed to be 50 percent higher than the amount mentioned in the Schedule appended to this Scheme. Victims of Acid attack are also entitled to additional compensation of Rs. 01 lac under Prime Minister's National Relief Fund vide memorandum no. 24013/94/Misc./2014-CSR-III/ GoI/MHA dated 09.11.2016. Victims of Acid Attack are also entitled to additional special financial assistance up to Rs. 05 lacs who need treatment expenses over and above the compensation paid by the respective Uttarakhand State in terms of Central Victim Compensation Fund Guidelines-2016, no. 24013/94/Misc/2014-CSR.III, MHA/GoI dated 09.11.2016.

(4) The SLSA/DLSA may call from any record or take assistance from

any Authority/Establishment/Individual/ Police/Court concerned or expert for smooth implementation of the Scheme.

(5) In case trial/appellate court gives findings that the criminal complaint and the allegation were false, then Legal Services Authority may initiate proceedings for recovery of compensation, if any, granted in part or full under this Scheme, before the Trial Court for its recovery as if it were a fine.

The order to be placed on Record

10. Copy of the order of interim or final compensation passed under this Scheme shall be placed on record of the trial Court so as to enable the trial Court to pass an appropriate order of compensation under Section 357 of the Code. A true copy of the order shall be provided to the Investigating Officer in case the matter is pending investigation and also to the victim/dependent as the case may be.

Method of Disbursement of Compensation

11. (1)The amount of compensation so awarded shall be disbursed by the SLSA by depositing the same in a Bank in the joint or single name of the victim/dependent(s). In case the victim does not have any bank account, the DLSA concern would facilitate opening of a bank account in the name of the victim and in case the victim is a minor along with a guardian or in case, minor is in a child care institution, the bank account shall be opened with the Superintendent of the Institution as Guardian. Provided that, in case the victim is a foreign national or a refugee, the compensation can be disbursed by way of cash cards. Interim amount shall be disbursed in full. However, as far as the final compensation amount is concerned, 75 Percent (seventy five percent) of the same shall be put in a fixed deposit for a minimum period of three years and the remaining 25 Percent (twenty five percent) shall be available for utilization and initial expenses by the victim/dependent(s), as the case may be.

(2) In the case of a minor, 80 Percent of the amount of compensation so awarded, shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority, but not before three years of the deposit. Provided that in exceptional cases, amounts may be withdrawn for educational or medical or other pressing and urgent

needs of the beneficiary at the discretion of the SLSA/ DLSA.

(3) The interest on the sum, if lying in FDR form, shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim/dependent(s), on monthly basis which can be withdrawn by the beneficiary.

Interim Relief to the Victim

12. The State Legal Services Authority or District Legal Services Authority, as the case may be, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost or any other interim relief (including interim monetary compensation) as deemed appropriate, to alleviate the suffering of the victim on the certificate of a police officer, not below the rank of the officer-in-charge of the police station, or a Magistrate of the area concerned or on the application of the victim/ dependents or suo moto. Provided that as soon as the application for compensation is received by the SLSA/DLSA, a sum of Rs.5000/- or as the case warrants up to Rs. 10,000/- shall be immediately disbursed to the victim through preloaded cash card from a Nationalised Bank by the Secretary, DLSA or Member Secretary, SLSA. Provided that the, interim relief so granted shall not be less than 25 per cent of the maximum compensation awardable as per schedule applicable to this Scheme, which shall be paid to the victim in totality. Provided further that in cases of acid attack a sum of Rs. One lakh shall be paid to the victim within 15 days of the matter being brought to the notice of SLSA/DLSA. The order granting interim compensation shall be passed by the SLSA/DLSA within 7 days of the matter being brought to its notice and the SLSA shall pay the compensation within 8 days of passing of order. Thereafter an additional sum of Rs.2 lakhs shall be awarded and paid to the victim as expeditiously as possible and positively within two months.

Recovery of Compensation Awarded to the Victim or her Dependent (S)

13. Subject to the provisions of sub-section (3) of Section 357A of the Code, the State Legal Services Authority, in proper cases, may institute proceedings before the competent court of law for recovery of the compensation granted to the victim or her dependent(s) from person(s) responsible for causing loss or injury as a result of the crime committed

by him/her. The amount, so recovered, shall be deposited in Woman Victim Compensation Fund.

Dependency Certificate	**14.**	The authority empowered to issue the dependency certificate shall issue the same within a period of fifteen days and, in no case, this period shall be extended: Provided that the SLSA/DLSA, in case of non-issuance of Dependency Certificate, after expiry of 15 days, may proceed on the basis of an affidavit to be obtained from the claimant.
Minor Victims	**15.**	If in case the victim is an orphaned minor without any parent or legal guardian the immediate relief or the interim compensation shall be disbursed to the Bank Account of the child, opened under the guardianship of the Superintendent, Child Care Institutions where the child is lodged or in absence thereof, DDO/SDM, as the case may be.
Limitation	**16.**	Under the Scheme, no claim made by the victim or her dependent(s), under sub-section (4) of Section 357A of the Code shall be entertained after a period of 3 years from the date of occurrence of the offence or conclusion of the trial. However, in deserving cases, on an application made in this regard, for reasons to be recorded, the delay beyond three years can be condoned by the SLSAs/DLSAs.
Appeal	17.	In case the victim or her dependents are not satisfied with the quantum of compensation awarded by the Secretary, DLSA, they can file appeal within 30 days from the date of receipt of order before the Chairperson, DLSA. Provided that, delay in filing appeal may be condoned by the Appellate Authority, for reasons to be recorded, in deserving cases, on an application made in this regard.
Repeal & Savings	**18.**	Nothing in this Scheme shall prevent Victims or their dependents from instituting any Civil Suit or Claim against the perpetrator of offence or any other person indirectly responsible for the same.

Explanation: It is clarified that this Scheme does not apply to minor victims under POCSO Act, 2012 in so far as their compensation issues are to be dealt with only by the Ld. Special Courts under Section 33 (8) of POCSO Act, 2012 and Rules (7) of the POCSO Rules, 2012.

(Nitesh Kumar Jha)
Secretary

SCHEDULE APPLICABLE TO WOMEN VICTIM OF CRIMES

S. No.	Particulars of loss or injury	Minimum Limit of Compensation (In Rs.)	Upper Limit of Compensation (In Rs.)
1.	Loss of Life	5 Lakh	10 Lakh
2.	Gang Rape	5 Lakh	10 Lakh
3.	Rape	4 Lakh	7 Lakh
4.	Unnatural Sexual Assault	4 Lakh	7 Lakh
5.	Loss of any Limb or part of body resulting in 80% permanent disability or above	2 Lakh	5 Lakh
6.	Loss of any Limb or part of body resulting in 40% and below 80% permanent disability	2 Lakh	4 Lakh
7.	Loss of any limb or part of body resulting in above 20% and below 40% permanent disability	1 Lakh	3 Lakh
8.	Loss of any limb or part of body resulting in below 20% permanent disability	1 Lakh	2 Lakh
9.	Grievous physical injury or any mental injury requiring rehabilitation	1 Lakh	2 Lakh
10.	Loss of Foetus i.e. Miscarriage as a result of Assault or loss of fertility.	2 Lakh	3 Lakh
11.	In case of pregnancy on account of rape.	3 Lakh	4 Lakh
12.	**Victims of Burning:**		
a.	In case of disfigurement	7 Lakh	8 Lakh
b.	In case of loss of more than 50%	5 Lakh	8 Lakh
c.	In case of injury more than 20% and less than 50%	3 Lakh	7 Lakh
d.	In case of less than 20%	2 Lakh	3 Lakh
13.	**Victims of Acid Attack:**		
a.	In case of disfigurement of face.	7 Lakh	8 Lakh
b.	In case of injury more than 50%.	5 Lakh	8 Lakh
c.	In case of injury more than 20% and less than 50%.	3 Lakh	5 Lakh
d.	In case of injury less than 20%	3 Lakh	4 Lakh

Note: If a woman victim of sexual assault/acid attack is covered under one or more category of the schedule, she shall be entitled to be considered for combined value of the compensation.

जारी
08/9/20

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–3
संख्या–532/XX-3-2019-05(09)2011
देहरादून : दिनांक 08 सितम्बर, 2020

अधिसूचना

चूंकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट संख्या–565/2012 निपुण सक्सेना एवं अन्य बनाम भारत संघ में दिनांक 11.05.2018 को दिये गये निर्णय के आलोक में उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013(यथा–संशोधित 2014 एवं 2016) का संशोधन करना है;

और चूंकि, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा तैयार की गई "यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित महिला/अन्य पीड़ितों हेतु प्रतिकर योजना, 2018" जिसे भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है, को उत्तराखण्ड राज्य में लागू करना आवश्यक है;

और चूंकि, इस स्कीम को उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 (यथा–संशोधित 2014 एवं 2016) के भाग–II में अध्याय के रूप में लागू करना प्रस्तावित है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एंव उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 (यथा–संशोधित 2014 एवं 2016) में संशोधन करते हुए ऐसे अपराध पीड़ितों या उनके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति कारित हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने और प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करने के लिए एतद्द्वारा भाग–II में निम्नलिखित अध्याय जोड़े जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

भाग–II

इस भाग में अन्तर्विष्ट अध्याय का नाम उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020 है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार व प्रारम्भ

1. (1) इस अध्याय का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित/उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020" है।

(2) यह दिनांक 02 अक्टूबर 2018 से प्रवृत हुई समझी जायेगी।

(3) यह उत्तराखण्ड राज्य में पीड़ितों और उनके आश्रितों पर लागू होगी, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि हो अथवा क्षति हो या जैसी भी स्थिति हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो।

परिभाषाएँ

2\. (1) जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में:—

(क) **"संहिता"** से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973(1974 का 2) अभिप्रेत है;

(ख) **"आश्रित"** में सम्बन्धित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट/थानाध्यक्ष/जांच अधिकारी की आख्या के आधार पर अथवा आश्रितों द्वारा शपथ—पत्र के माध्यम से प्रस्तुत सामग्री या अपनी जांच के आधार पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पीड़िता के पति, पिता, माता, दादा—दादी, अविवाहित पुत्री, अवयस्क बच्चे सम्मिलित है;

(ग) **"जिला विधिक सेवा प्राधिकरण"** से उत्तराखण्ड राज्य के जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 के अधिनियम, 39) की धारा 9 के अन्तर्गत गठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से अभिप्रेत है;

(घ) **"प्रपत्र"** से इस अध्याय के लिए योजना के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ङ.) **"निधि"** से राज्य निधि यथा— राज्य पीड़ित योजना के अन्तर्गत गठित पीड़ित प्रतिकर निधि अभिप्रेत है;

(च) **"केन्द्रीय निधि"** से केन्द्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि योजना, 2015 से प्राप्त निधि अभिप्रेत है;

(छ) **"महिला पीड़ित प्रतिकर निधि"** से राज्य पीड़ित प्रतिकर निधि एवं केन्द्रीय निधि में महिला पीड़ितों के संवितरण हेतु पृथक निधि अभिप्रेत है। [राज्य पीड़ित प्रतिकर निधि के अन्तर्गत एक पृथक बैंक खाता उस बड़ी निधि के रूप में जिसमें राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना से प्राप्त निधि के अलावा गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय पीड़ित प्रतिकर निधि के अन्तर्गत निर्भया फंड से दी निधि अन्तर्विष्ट होगी जिसका उपयोग केवल इस अध्याय से आच्छादित पीड़ितों के लिये ही किया जायेगा।];

(ज) **"सरकार"** से 'राज्य सरकार' जहां राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना या राज्य पीड़ित प्रतिकर निधि सन्दर्भित है और 'केन्द्र सरकार' जहां केन्द्र सरकार पीड़ित प्रतिकर निधि योजना सन्दर्भित है अभिप्रेत है;

(झ) **"क्षति"** से किसी महिला को हुई मानसिक अथवा शारीरिक हानि अभिप्रेत है;

(ञ) **"अवयस्क"** से 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका अभिप्रेत है;

(ट) **"अपराध"** से भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अन्तर्गत किसी महिला के विरुद्ध किया गया कोई अपराध अभिप्रेत है;

(ठ) **"संहिता"** से भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधि0 सं0 45 वर्ष 1860) अभिप्रेत है;

(ड) **"अनुसूची"** से इस योजना/भाग के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ढ) **"राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण"** से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (अधि0 सं0 39 वर्ष 1987) की धारा 6 के अन्तर्गत परिभाषित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ण) **"यौन अपराध पीड़ित"** से भारतीय दण्ड संहिता की, धारा 376(क) से (ङ), धारा 354 (क) से (घ) एवं धारा 509 सहित यौन अपराध के परिणामस्वरूप मानसिक अथवा शारीरिक अथवा दोनों रूप से पीड़ित महिला अभिप्रेत है;

(त) **"अन्य अपराध से पीड़ित/उत्तरजीवी महिला"** से ऐसी महिला अभिप्रेत है, जिसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ख, धारा 326क, धारा 498क (संलग्न अनुसूची में विशेषीकृत शारीरिक क्षति के मामले में) सहित किसी अपराध के परिणाम स्वरूप शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंची हो, जिसमें प्रयास एवं दुष्प्रेरण भी सम्मिलित है।;

(2) उन शब्दों और पदों जो इस योजना में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, का वही अर्थ होगा जो दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 अथवा/और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में हैं।

पीड़ित महिला प्रतिकर निधि 3. (1) **'पीड़ित महिला प्रतिकर निधि'** के नाम से एक निधि होगी, जिसमें से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रतिकर राशि का भुगतान महिला पीड़ित या उसके आश्रित/आश्रितों को किया जाएगा, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो।

(2) 'पीड़ित महिला प्रतिकर निधि' में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:–

(क) केन्द्रीय निधि से प्राप्त अंशदान;

(ख) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान–सहायता के रूप में बजटीय आवंटन जिसके लिए सरकार द्वारा वार्षिक बजट में प्रावधान किया जाएगा;

(ग) सिविल/आपराधिक न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित कोई धनराशि, इस निधि में जमा की जायेगी;

(घ) इस योजना की प्रस्तर 13 के अन्तर्गत दोषकर्ता/अभियुक्त से वसूल की गयी मुआवजे की राशि;

(ङ) व्यक्तियों/अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/परोपकारी/धर्मार्थसंस्थाओं/संगठनों से प्राप्त अनुदान/अंशदान (राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त);

(च) सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत कम्पनियों से प्राप्त अंशदान;

(3) उक्त निधि का संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

प्रतिकर के लिए अर्हता

4. पीड़ित महिला या उसके आश्रित/आश्रितों, जैसी भी स्थिति हो, को उन पर लागू होने वाली विभिन्न योजनाओं से क्षतिपूर्ति का/की पात्र माना जाएगा परन्तु, उनके द्वारा अन्य योजनाओं में प्राप्त प्रतिकर को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357ख के अन्तर्गत ऐसे उत्तरवर्ती आवेदन में मात्रा निर्धारण करते समय विचार में लिया जायेगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किये जाने की प्रक्रिया

5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के तुरंत पश्चात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष इसकी हार्ड/सॉफ्ट कॉपी अनिवार्य रूप से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से साझा करेंगे ताकि धारा 326क, 354क से 354घ तक, 376क से 376ङ तक, 304ख, 498क (अनुसूची से आच्छादित शारीरिक क्षति के मामलों में) से आच्छादित अपराधों में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पात्र मामलों मे अन्तरिम प्रतिकर प्रदान करने हेतु स्वत: तथ्यों का प्रारम्भिक सत्यापन कर सकें। अन्तरिम/अन्तिम प्रतिकर धनराशि प्राप्त किये जाने हेतु पीड़ित अथवा उसके आश्रित अथवा सम्बन्धित थाना प्रभारी के द्वारा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर

सकते हैं। इस प्रथम सूचना रिपोर्ट या आपराधिक शिकायत, जिसका संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया हो और यदि उपलब्ध मेडिकल रिपोर्ट मृत्यु प्रमाण पत्र जहां लागू हो, न्यायालय के निर्णय/संस्तुति की प्रति यदि विचारण की कार्यवाही समाप्त हो गयी हो, की प्रति के साथ प्रारूप 'I' में जमा करना होगा।

आवेदन जमा करने का स्थान	6.	प्रतिकर के लिये आवेदन या तो सम्बन्धित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा सम्बन्धित जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष किया जा सकता है अथवा इसे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सृजित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव उसके समक्ष आये आवेदन पर योजना के अनुसार विचार करेगा। स्पष्टीकरणः— मा0 उच्चतम न्यायालय ने W.P.CRML 129/2006 आदेश दिनांक 10.04.2015 लक्ष्मी बनाम भारत संघ में दिये गये निर्णय के अनुसार तेजाब हमले से पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर की धनराशि आपराधिक क्षति प्रतिकर धनराशि बोर्ड जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक/जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी /सिविल सर्जन होंगे।
सहायता जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण /जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत की जा सकती है।	7.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को प्रतिकर संलग्न अनुलग्नक के अनुसार निर्धारित सीमा तक निर्दिष्ट कर सकता है।
प्रतिकर/सहायता धनराशि अधिनिर्णीत करते समय जिन बिन्दुओं को ध्यान रखा जाना	8.	हानि या क्षति से पीड़ित व्यक्तियों को प्रतिकर के मामलो का निर्धारण करते समय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्न कारकों को ध्यान में रखा जायेगा :— (1) अपराध की तीव्रता तथा मानसिक अथवा शारीरिक क्षति अथवा पीड़ित द्वारा सही गयी क्षति; (2) पीड़ित के शारीरिक/मानसिक स्वास्थ्य के चिकित्सा व्यय या पीड़ित के उपचार पर खर्च होने की सम्भावना, जिसमें पीड़ित को परामर्श,दाह—संस्कार, जांच—पड़ताल/पूछताछ/परीक्षण के दौरान की गयी यात्रा, पर व्यय (आहार के पैसे के अतिरिक्त) सम्मिलित होगें; (3) अपराध के फलस्वरूप मानसिक आघात, शारीरिक चोट,

चिकित्सा उपचार, जांच तथा अपराध के परीक्षण अथवा अन्य कारण से स्कूल/कॉलेज से अनुपस्थिति सहित शैक्षणिक अवसर की हानि;

(4) अपराध के फलस्वरूप मानसिक आघात/शारीरिक चोट के कारण चिकित्सा परिचर्या/अन्वेषण अथवा विचारण अथवा किसी अन्य कारण के परिणामस्वरूप रोजगार के स्थान से अनुपस्थिति सहित रोजगार की हानि;

(5) पीड़ित का अपराधी के साथ सम्बन्ध यदि कोई है;

(6) क्या दुर्व्यवहार एक अलग घटना थी अथवा निर्धारित समयावधि में दुर्व्यहार घटित हुआ;

(7) क्या पीड़िता अपराध के कारण गर्भवती हुयी अथवा पीड़िता को गर्भपात कराना पड़ा अथवा पीडिता के द्वारा बच्चे को जन्म देने की स्थिति में ऐसे बच्चे के पुनर्वास सम्बन्धी आवश्यकताएं;

(8) क्या पीड़िता अपराध के फलस्वरूप यौन संचारित बीमारी से पीड़ित हुयी;

(9) क्या पीड़िता अपराध के कारण एड्स से पीड़ित हुयी;

(10) अपराध के फलस्वरूप पीड़िता किसी विकलांगता का शिकार हुयी;

(11) पीड़िता की वित्तीय स्थिति जिसके विरूद्ध अपराध कारित किया गया, जिससे कि उसके पुनर्वास तथा पुनःएकीकरण की आवश्यकता का निर्धारण किया जा सके;

(12) यदि पीड़ित/पीड़िता की मृत्यु कारित हुयी हो तब मृतका की आयु, उसकी मासिक आय, उसके आश्रितों की संख्या, जीवन सम्भाव्यता, भविष्य की पदोन्नति/विकास के अवसर आदि का निर्धारण;

(13) अन्य कोई कारक जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायपूर्ण तथा पर्याप्त समझे।

प्रतिकर स्वीकृत किये जाने की प्रक्रिया

9. (1) जहां भी, संहिता की धारा 357क की उपधारा (2) व (3) के अधीन न्यायालय द्वारा प्रतिकर दिये जाने की संस्तुति की जाती है, अथवा पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा संहिता की धारा 357क की उपधारा (4) के अधीन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन किया जाता है, तब अन्तरिम सहायता धनराशि प्रदान किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया मुआवजे की आवश्यकता का आंकलन और पीड़ित के पहचान की कार्यवाही की जायेगी।

अंतिम मुआवजे हेतु प्रकरण की जांच और दावे से सम्बन्धित तथ्यों –अपराध घटित होने के फलस्वरूप पीड़ित को हुई क्षति/चोट अथवा पुनर्वास सम्बन्धी आवश्यकताओं का परीक्षण किया जायेगा और दावे के निस्तारण हेतु कोई अन्य संगत सूचना को मंगा सकता है;

परन्तु पात्र प्रकरणों में अथवा तेजाब से आक्रमण के समस्त प्रकरणों में घटना घटित होने के पश्चात किसी भी समय सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वतः अथवा तथ्यों का प्रारम्भिक सत्यापन करने के पश्चात अन्तरिम सहायता धनराशि प्रदान करने की कार्यवाही कर सकते है जैसा कि प्रत्येक प्रकरण की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हो।

(2) संहिता की धारा 357क की उपधारा (5) के अन्तर्गत जांच शीघ्रता से समाप्त की जायेगी तथा किसी भी स्थिति में दावा/याचिका या संस्तुति की प्राप्ति से साठ दिनों से अधिक नहीं हो सकती, परन्तु तेजाब हमले के मामले को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाये जाने के 15 दिनों के भीतर पीड़ित को रु0 01 लाख का प्रतिकर दिया जायेगा। अन्तरिम मुआवजा देने वाले आदेश के मामले को 07 दिनों के अन्दर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पारित किया जायेगा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश पारित होने के आठ दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान करेगा। इसके बाद पीड़ित को रू0 02 लाख का भुगतान यथासम्भव शीघ्र तथा निश्चित रूप से पहले भुगतान करने के दो माह के भीतर किया जायेगा, परन्तु यह और कि इस योजना के अन्तर्गत पीड़ित को अनुमन्य अनुदान आगे भी दिया जा सकेगा।

(3) मामले पर विचार करने के पश्चात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो, अपने समाधान पर पीड़ित को या उसके आश्रित को दिये जाने वाले मुआवजे की मात्रा का निर्णय योजना के प्रस्तर 08 में दिये गये कारकों एवं इस योजना की अनुसूची के अनुसार करेगा।

परन्तु, पात्र मामलों में, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों पर ऊपरी सीमा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, यदि पीड़ित नाबालिग है, तो मुआवजे की सीमा को इस योजना के साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित राशि से 50 प्रतिशत अधिक माना जायेगा।

एसिड हमले के पीड़ित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष ज्ञाप सं0 24013/94/Misc/2014–CSR-III111/GOI/MHA दिनांक 09.11.2016 के अन्तर्गत रू0 एक लाख की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। एसिड हमले के पीड़ित जिन्हें

उत्तराखण्ड राज्य के द्वारा प्रदत्त मुआवजे से अधिक की धनराशि इलाज के खर्च में दिये जाने की आवश्यकता है, की पूर्ति हेतु रू0 05 लाख तक की धनराशि अतिरिक्त विशेष वित्तीय सहायता सी बी सी एस फन्ड मार्गदर्शिका–2016, संख्या 24013/94/Misc/2014–CSR-III 111, MHA GoI दिनांक 09.11.2016 के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

(4) इस योजना के सफल/सुचारू क्रियान्वयन के लिये राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किसी भी प्राधिकारी/संस्थान/व्यक्ति विशेष/पुलिस/कोर्ट/विशेषज्ञ से कोई अभिलेख मांग सकेगा अथवा सहायता ले सकेगा।

(5) यदि परीक्षण/अपीलीय अदालत यह निष्कर्ष देती है कि आपराधिक शिकायत और आरोप झूठे थे, तो विधिक सेवा प्राधिकरण मुआवजे यदि कोई, इस योजना के अन्तर्गत अंशतः अथवा पूर्णतः प्रदत्त किया गया हो की वसूली हेतु, सम्बन्धित के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय में मुकदमा चला सकेगी, जैसे वह कोई जुर्माना है।

आदेश को अभिलिखित किया जाना	10.	इस योजना के अन्तर्गत पारित अन्तरिम या अन्तिम मुआवजे के आदेश की प्रतिलिपि परीक्षण न्यायालय के रिकार्ड पर रखी जायेगी ताकि परीक्षण न्यायालय को संहिता की धारा 357 के अन्तर्गत मुआवजे का उचित आदेश पारित करने में सक्षम हो सके। यदि मामले की जांच लम्बित है तो आदेश की सत्य प्रतिलिपि विवेचना अधिकारी व पीड़ित/उसके आश्रितों को, जैसा भी स्थिति हो, दी जायेगी।
मुआवजा राशि/बांटे जाने की रीति	11.	(1) इस तरह से दिये गये मुआवजे की धनराशि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीडित अथवा उसके आश्रितों के एकल अथवा संयुक्त खाते में जमा करके वितरित की जायेगी। यदि पीड़ित के नाम बैंक खाता नहीं है तब सम्बन्धित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीडित/आश्रित को बैंक खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध करायेगा और यदि पीड़ित अवयस्क है तब अवयस्क का खाता अभिभावक के साथ, यदि पीड़ित बाल संरक्षण संस्था में है, तब बैंक खाता संस्थान के अधीक्षक के साथ खोला जायेगा। परन्तु, यदि पीड़ित विदेशी नागरिक या शरणार्थी है तो कैश कार्ड के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जा सकती है। अन्तरिम धनराशि पूर्ण रूप से वितरित की जायेगी। जहां तक अन्तिम मुआवजे का प्रश्न है, 75 प्रतिशत (पच्चहत्तर प्रतिशत) धनराशि को तीन साल की अवधि के लिये एक सावधि खाते में रखा जाएगा और शेष 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) धनराशि पीड़ित/आश्रित के प्रारम्भिक खर्चों के लिये रखी जायेगी, जैसा भी मामला हो।

(2) अवयस्क के मामले में, मुआवजे की अधिनिर्णीत राशि का 80 प्रतिशत (अस्सी प्रतिशत)सावधि खाते में जमा किया जायेगा और केवल वयस्कता आयु प्राप्त करने पर ही निकाला जायेगा, लेकिन जमा के तीन साल पहले नहीं निकाला जा सकेगा परन्तु आपवादिक मामले में, शैक्षिक अथवा चिकित्सकीय आवश्यकताओं अथवा लाभार्थी की तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विवेक पर धनराशि निकाली जा सकती है।

(3) सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज बैंक द्वारा सीधे पीड़ित/आश्रित के बचत खाते में मासिक आधार पर जमा किया जायेगा जिसे हिताधिकारी द्वारा निकाला जा सकता है।

पीड़ित को अन्तरिम सहायता

12. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित/आश्रित के आवेदन पर अथवा स्वतः अथवा थाना प्रभारी से अन्यून स्तर के पुलिस अधिकारी अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण–पत्र पर पीड़िता की पीड़ा को कम करने के लिये, जैसा भी मामला हो, तत्काल प्राथमिक चिकित्सा सुविधा या चिकित्सा लाभ मुफ्त में उपलब्ध कराये जाने का आदेश पारित कर सकता है या कोई अन्य अन्तरिम राहत (अंतरिम आर्थिक सहायता) प्रदान कर सकता है: परन्तु यह कि जैसे ही मुआवजे का आवेदन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्राप्त होता है रू0 5,000(पाँच हजार रूपये) अथवा रू0 10,000(दस हजार रूपये) की धनराशि, जैसी आवश्यकता हो, राष्ट्रीयकृत बैंक से प्रीलोडेड कैश कार्ड के माध्यम से सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अथवा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा तत्काल वितरित किया जायेगा;

परन्तु, यह और कि स्वीकृत अन्तरिम राहत, जो कि इस योजना के लिये लागू होने वाले अधिकतम मुआवजे के 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) से कम नहीं होगी, पीड़ित को पूर्णतः भुगतान की जायेगी;) परन्तु यह भी कि एसिड अटैक के मामले में प्रकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में लाए जाने पर 15 दिनों के भीतर पीड़ित को रू0 एक लाख का भुगतान किया जायेगा। प्रकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संज्ञान में आने पर 07 दिनों के भीतर अन्तरिम प्रतिकर आदेश पारित किया जायेगा और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदेश पारित होने के 08 दिनों के भीतर मुआवजे का

भुगतान करेगा। तत्पश्चात् रू0 02 लाख (दो लाख रूपये) की अतिरिक्त धनराशि पीड़ित को यथासम्भव व निश्चित रूप से 02 माह के अन्दर प्रदान की जायेगी।

पीड़ित या उसके आश्रित /आश्रितों को दिये गये मुआवजे की वसूली	13.	संहिता की धारा 357क की उपधारा 3 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उचित मामलों में, हानि या क्षति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति/ व्यक्तियों से पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को स्वीकृत प्रतिकर राशि की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही संस्थित कर सकता हैं। उक्त धनराशि, जो वसूल की गई है, महिला पीड़ित प्रतिकर निधि में जमा की जाएगी।
आश्रित प्रमाण–पत्र	14.	आश्रित प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सशक्त प्राधिकारी इसे 15 दिन के भीतर जारी करेगा और, किसी भी मामले में, उक्त अवधि को बढ़ाया नहीं जायेगा; परन्तु आश्रित प्रमाण–पत्र जारी न होने की दशा में, उक्त 15 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दावाकर्ता से शपथ–पत्र प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्यवाही कर सकता है।
अवयस्क पीड़ित	15.	यदि पीड़ित किसी माता–पिता या कानूनी अभिभावक के बिना अनाथ अवयस्क है तो तत्काल राहत या अन्तरिम प्रतिकर बच्चे के बैंक खाते में वितरित किया जायेगा, जिसे अधीक्षक, बाल संरक्षण संस्थान(जहां बच्चे निवासरत है) की संरक्षा में खोला गया हो अथवा ऐसा न होने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ उपजिलाधिकारी की संरक्षा में, जैसा भी मामला हो।
परिसीमा	16.	इस योजना के अन्तर्गत संहिता की धारा 357क की उप धारा (4) के तहत अपराध की घटना की तारीख अथवा मुकदमें की समाप्ति के 3 वर्ष की अवधि के पश्चात् पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा किया गया कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। यद्यपि, पात्र मामलों में, इस सम्बन्ध में किये गये आवेदन मे उल्लिखित कारणों पर, तीन साल से अधिक की देरी को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा छूट दी जा सकती है।

अपील	17.	यदि पीड़ित अथवा उसके आश्रित सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दिये गये मुआवजे की मात्रा से संतुष्ट नहीं है, तो वे अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते हैं; परन्तु पात्र मामलों में इस सम्बन्ध में दिए गये आवेदन पर अपील किये जाने में हुए विलम्ब के कारण को अभिलिखित करने पर अपीलीय प्राधिकारी इसमें छूट प्रदान कर सकता है।
निरसन एवं व्यावृत्ति	18.	इस योजना की कोई बात पीड़ित अथवा उसके आश्रितों को अपराधकर्ता अथवा अन्य किसी व्यक्ति, जो अप्रत्यक्ष रूप से उसके लिए जिम्मेदार है, के विरूद्ध दावा करने अथवा दीवानी मुकदमा संस्थित करने से प्रविरत नहीं करेगी। स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि यह योजना पॉक्सो अधिनियम 2012 के अन्तर्गत अवयस्क पीडितों पर लागू नहीं होती है क्योंकि उनके प्रतिकर सम्बन्धी मुद्दों को केवल लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 33(8) एवं नियम 7 के अन्तर्गत गठित विशेष अदालतों द्वारा व्यवहृत किये जाते हैं।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

अपराधों से पीड़ित महिलाओं पर लागू 'अनुसूची'

क्रम सं.	हानि या चोट का विवरण	क्षतिपूर्ति की न्यूनतम सीमा सीमा (रूपये में)	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा (रूपये में)
01	जीवन क्षति	5 लाख	10 लाख
02	सामूहिक बलात्कार	5 लाख	10 लाख
03	बलात्कार	4 लाख	7 लाख
04	अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न	4 लाख	7 लाख
05	किसी भी अंग अथवा शरीर की हानि, जिस कारण 80 फीसदी अथवा अधिक की स्थायी विकलांगता	2 लाख	5 लाख
06	किसी भी अंग अथवा शरीर की हानि, जिस कारण 40 फीसदी से अधिक एवं 80 फीस्दी से कम की स्थायी विकलांगता	2 लाख	4 लाख
07	किसी भी अंग अथवा शरीर की हानि, जिस कारण 20 फीसदी से अधिक एवं 40 फीसदी से कम की स्थायी विकलांगता	1 लाख	3 लाख
08	किसी भी अंग अथवा शरीर का नुकसान, जिस कारण 20 फीसदी से कम की स्थायी विकलांगता	1 लाख	2 लाख
09	शारीरिक क्षति अथवा कोई मानसिक क्षति, जिसमें पुनर्वास की आवश्यकता हो	1 लाख	2 लाख
10	भ्रूण की हानि अर्थात् हिंसा के फलस्वरूप गर्भपात अथवा प्रजनन क्षमता की हानि	2 लाख	3 लाख
11	बलात्कार के कारण गर्भावस्था के मामले में	3 लाख	4 लाख
	12. जलने के कारण पीड़ितः		
	विरूपता के मामले में	7 लाख	8 लाख
ख	50 फीसदी से अधिक के मामले में	5 लाख	8 लाख
ग	20 फीसदी से अधिक एवं 50 फीसदी से कम हानि के मामले में	3 लाख	7 लाख
घ	20 फीसदी से कम के मामले में	2 लाख	3 लाख
	13. एसिड हमले में पीड़ितः		
क	चेहरे की विरूपता के मामले में	7 लाख	8 लाख
ख	50 फीसदी से अधिक क्षति के मामले में	5 लाख	8 लाख
	20 फीसदी से अधिक एवं 50 फीसदी से कम क्षति के मामले में	3 लाख	5 लाख
घ	20 फीसदी से कम क्षति के मामले में	3 लाख	4 लाख

नोटः—यदि कोई यौन हिंसा/एसिड हमले में पीड़ित महिला उक्त अनुसूची की एक या अधिक श्रेणी से आच्छादित हो तो, वह मुआवजे की समेकित धनराशि की हकदार होगी।

PHOTO GALLERY AND NEWS ITEMS OF THE ACTIVITIES ORGANIZED BY THE DISTRICT LEGAL SERVICES AUTHORITIES IN THE STATE OF UTTARAKHAND

ALMORA

BAGESHWAR

मानसिक स्वास्थ्य का रखें विशेष ध्यान: त्रिचा

जागरूक किया

बागेश्वर | हमारे संवाददाता

विश्व मानसिक दिवस पर जिला प्राधिकरण ने वेबिनार का आयोजन किया। डिजिटल वेबिनार में प्राधिकरण की सचिव और सीनियर जज त्रिचा रावत ने पीएलवी और डॉक्टरों से मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने के लिए लोगों को जागरूक किए जाने पर जोर दिया।

उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल से उपलब्ध प्लान ऑफ एक्शन के तहत वेबिनार आयोजित की गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कांडा के डा. हरीश पोखरिया ने वेबिनार में प्रतिभाग करते हुए बताया कि मानसिक रोग के लक्षण बताए। उन्होंने कहा कि कई तरह के व्यवहार, परिस्थिति आदि के गिरफ्त में आने से वह रोग से ग्रसित हो सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने वेबिनार में जुड़े पीएलवी कार्यकर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्र में मानसिक रूप से पीड़ित लोगों की मदद करने को कहा। इस मौके पर चंचल कोरंगा, पीएलवी शशी कांडपाल, सरस्वती भट्ट, रुबाली जोशी, पंकज सिंह, शिखा जोशी, ममता कांडपाल, सोहन सिंह, मान सिंह, देव सिंह, महिपाल सिंह रहे।

वेबिनार

- विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जिला प्राधिकरण की वेबिनार
- पीएलवी और डॉक्टर जुड़े ऑनलाइन

छात्र-छात्राओं ने ली कोरोना के रोकथाम की शपथ

बागेश्वर | हमारे संवाददाता

राजकीय महाविद्यालय दुग नाकुरी, बनलेख में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें कॉलेज के प्राध्यापकों, छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों ने कोरोना की रोकथाम के लिए जागरूक रहने और लोगों को जागरूक करने की शपथ ली। उन्होंने सरकार की गाइडलाइन का स्वयं पालन करने और दूसरों को नियम पालन के लिए प्रेरित करने का भी संकल्प लिया।

जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए प्राचार्य डा. पुष्पेश पांडे ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण से समूचा देश अछूता नहीं रहा। ऐसे में सभी को जागरूक होना है। सरकार की तरफ से जारी नियमों का पालन करना है। फिलहाल शारीरिक दूरी और मास्क का प्रयोग जरूर करना है। साबुन से हाथ धोने हैं और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। इस मौके पर प्राध्यापक प्रफुल्ल गुप्त, डा. राजेश प्रसाद, प्रकाश चंद्र, नरेंद्र बिष्ट, ललित, कैलाश, नवीन मौजूद रहे।

CHAMOLI

CHAMPAWAT

DEHRADUN

प्रदेश में बारह को पहली ई-लोक अदालत लगेगी

देहरादून | कार्यालय संवाददाता

HARIDWAR

NAINITAL

भाई–बहनों को नशामुक्ति केंद्र में कराया भर्ती

जासं, हल्द्वानी : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने पुलिस की मदद से कालाढूंगी रोड स्थित गुसाईं नगर में रहने वाले दो अनाथ भाई व बहन को नशामुक्ति केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया है। संकल्प नशामुक्ति अभियान के तहत प्राधिकरण के सचिव इमरान मोहम्मद खान के निर्देश पर नशे के लती बच्चों को ढूंढकर उपचार दिलाया जा रहा है। प्राधिकरण की टीम को पता चला कि गुसाईं नगर में दो अनाथ भाई व बहन रहते हैं। तीनों स्मैक के नशे के लती हैं। टीम ने पुलिस की मदद लेकर तीनों को हीरानगर स्थित निर्वाण नशा मुक्ति केंद्र में निःशुल्क उपचार के लिए भर्ती कराया है। टीम में दिनेश चंद्र जोशी, दिनेश ल्वैशाली, किरन पंत, हीरानगर चौकी प्रभारी प्रीती, दारोगा कुशल नगरकोटी व वंदना त्यागी शामिल थे।

PAURI GARHWAL

लोक अदालतों के सफल संपादन के लिए वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक सम्पन्न

PITHORAGARH

RUDRAPRAYAG

TEHRI GARHWAL

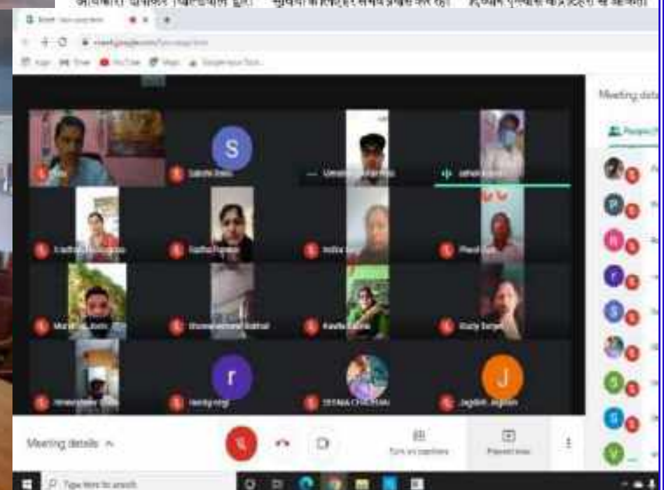

UDHAM SINGH NAGAR

2021.02.06 15:3

UTTARKASHI

बैरक-IB

DLSAUTTARKASHI
19:05
Fellow Jitster
RP
Rajesh plv
S

CONSOLIDATED STATISTICAL INFORMATION OF THE LOK ADALAT/LEGAL AID PROGRAMMES ORGANIZED IN THE STATE OF UTTARAKHAND FROM (JULY-2020 TO DECEMBER-2020)

S.N.	Name of District	Total No. of Lok Adalats Held	Total No. of Cases Taken up	Total No. of Cases Disposed off	Compensation /Settlement Amount	Realized As Fine (in ₹)	Total No. of Persons Benefited in Lok Adalats	No. of Camps Organized	Total No. of Persons Benefited in Camps	No. of Persons Benefited Through Legal Aid & Advice	
										Legal Aid	Advice/ Other Services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	ALMORA	04	535	249	1,41,00,121	-	249	-	-	24	01
2	BAGESHWAR	04	319	128	71,71,861	-	128	-	-	10	-
3	CHAMOLI	04	341	157	82,19,459	-	157	02	141	15	07
4	CHAMPAWAT	04	224	150	13,14,724	-	150	01	67	03	01
5	DEHRADUN	04	4362	2566	7,46,56,575	-	2566	06	195	175	-
6	HARDWAR	04	9895	2071	5,13,30,971	-	2071	24	1410	62	82
7	NAINITAL	04	4687	1175	3,84,67,595	-	1175	-	-	81	41
8	PAURI GARHWAL	04	1517	582	1,33,29,385	-	582	02	-	35	10
9	PITHORAGARH	04	537	63	71,22,955	-	63	18	462	09	02
10	RUDRAPARYAG	04	454	121	55,11,325	-	121	02	45	04	01
11	TEHRI GARHWAL	04	1839	512	91,35,655	-	512	12	308	48	17
12	U. S. NAGAR	04	7257	2139	12,45,62,013	-	2139	04	222	210	76
13	UTTARKASHI	04	584	327	1,06,81,646	-	327	18	-	27	-
14	HCLSC, NTL	02	229	55	3,29,10,122	-	55	-	-	78	-
15	UKSLSA, NTL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35
	TOTAL :-	4	32780	10295	39,85,14,407	-	10295	89	2850	781	273

PROGRAMMES / ACTIVITIES INSIDE JAIL CAMPUS DURING (JULY-2020 TO DECEMBER-2020)

S.N.	District	Lok Adalats organized in Jails		Legal literacy camps organized in Jails		Legal Aid provided to Under Trial Prisoners	Jail Visits
		No. of Lok Adalats organized	No. of cases disposed off	No. of camps organized	Benefited persons	No. of benefited Under Trial Prisoners	Total No. of Jail visit
1	ALMORA	-	-	-	-	06	01
2	BAGESHWAR	-	-	-	-	03	-
3	CHAMOLI	-	-	01	116	05	-
4	CHAMPAWAT	-	-	-	-	-	-
5	DEHRADUN	-	-	01	100	35	02
6	HARDWAR	-	-	01	800	28	01
7	NAINITAL	01	17	-	-	34	-
8	PAURI GARHWAL	-	-	-	-	04	-
9	PITHORAGARH	-	-	02	120	02	01
10	RUDRAPRAYAG	-	-	-	-	01	-
11	TEHRI GARHWAL	-	-	01	108	11	-
12	U.S. NAGAR	-	-	01	75	99	01
13	UTTARKASHI	-	-	-	-	04	-
14	H.C.L.S.C. NTL	-	-	-	-	21	-
	Total	**01**	**17**	**07**	**1319**	**253**	**06**

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

CONTACT US

S.No.	ADDRESS	DESIGNATION	CONTACT NUMBER
01	Uttarakhand State Legal Services Authority, High Court Compound, Nainital	Member Secretary, Officer on Special Duty	Office: 05942-236762, Telefax: 236552
02	High Court Legal Services Committee, High Court Compound, Nainital	Secretary	Office: 05942-232085, Telefax: 237721
03	District Legal Services Authority, Almora	Shri Malik Mazhar Sultan, Chairman Ms. Rinky Sahani, CJM/Secretary	Office: 05962-231105, Mobile: 9412079213 / 9411377745
04	District Legal Services Authority, Bageshwar	Shri C. P. Bijalwan, Chairman Ms. Tricha Rawat, Secretary	Office: 05963-221844 Mobile: 9412097865
05	District Legal Services Authority, Chamoli	Shri Rajendra Singh, Chairman Shri Sudhir Kumar Singh, Secretary	Office: 01372-251529 Mobile: 9456596995
06	District Legal Services Authority, Champawat	Shri Ashish Naithani, Chairman Shri Udai Pratap Singh, Secretary	Office: 05965-230915 Mobile: 9456596985
07	District Legal Services Authority, Dehradun	Shri Pradeep Pant, Chairman Ms. Neha Kushwaha, Secretary	Office: 0135-2520873 Mobile: 9412097740
08	District Legal Services Authority, Haridwar	Shri Vivek Bharti Sharma, Chairman Ms. Shivani Pasbola, Secretary	Office: 01334-239780 Mobile: 9412071710 / 9456597012
09	District Legal Services Authority, Nainital	Shri Rajendra Joshi, Chairman Shri Imran Mohd. Khan, Secretary	Office: 05942-237159 Mobile: 9411102137 / 9456597027
10	District Legal Services Authority, Pauri Garhwal	Shri S. K. Tyagi, Chairman Ms. Indu Sharma, Secretary	Office: 01368-221815 Mobile: 8171254702 / 9456591019
11	District Legal Services Authority, Pithoragarh	Dr. G. K. Sharma, Chairman Shri Manoj Kumar Dwivedi, Secretary	Office: 05964-228322 Mobile: 9412079238 / 9411330501
12	District Legal Services Authority, Rudraprayag	Shri Harish Kumar Goyal, Chairman Ms. Anamika, Secretary	Office: 01364-233796 Mobile: 8126572918 / 9458592154
13	District Legal Services Authority, Tehri Garhwal	Shri Amit Kumar Sirohi, Chairman Shri Ashok Kumar, Secretary	Office: 01376-233424 Mobile: 941207722 / 9456596996
14	District Legal Services Authority, Udham Singh Nagar	Shri Narendra Dutt, Chairman Shri Avinash Kumar Srivastava, Secretary	Office: 05944-250682 Mobile: 9412088088
15	District Legal Services Authority, Uttarkashi	Shri Kaushal K. Shukla, Chairman Ms. Durga, Secretary	Office: 01374-226557 Mobile: 9412078165

High Court Campus, Nainital - 263001, Telefax : 05942-236552,
e-mail : slsa-uk@nic.in, ukslsanainital@gmail.com
website : www.slsa.uk.gov.in
Portal For Free Legal Aid: https://uklegalaidservices.uk.gov.in
Facebook Link: https://www.facebook.com/uttarakhand.slsa
Facebook Page Link: https://www.facebook.com/Uttarakhand-State-Legal-Services-Authority-104766307876873
Youtube Link: https://www.youtube.com/channel/UC6UDziuynkESRB0dtXd5cIQ
TOLL FREE NO. 18001804000, 15100